राष्ट्र की सेवा में परमाणु

यू सी आई एल

UCIL

ATOMS IN THE SERVICE OF THE NATION

57th ANNUAL REPORT 2023-24

57वॉ वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

(भारत सरकार का संस्थान)

परमाणु ऊर्जा विभाग

URANIUM CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Government of India Enterprise)

Department of Atomic Energy

विषय सूची

क्र. स0	विवरण	पृष्ठ
1.	निदेशक मंडल	03
2.	कार्यकारी	04
3.	अध्यक्ष के डेस्क से...	05
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	07
5.	निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–I	18
6.	शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–II	19
7.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख आंकड़े	26
	(ii) कंपनी का वित्तीय स्थिति	27
	(iii) कंपनी की आय और व्यय का विवरण	28
8.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	29
	(ii) व्यय का विवरण	29
	(iii) आय में वृद्धि	30
	(iv) सकल तथा शुद्ध परिसम्पति	31
	(v) नियोजित पूँजी	31
9.	स्वंतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	33
10.	निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	46
11.	31 मार्च, 2024 तक तुलन–पत्र	48
12.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी	49
13.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	50
14.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियां वित्तीय विवरण पर टिप्पणिया	60
16.	लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां	84
17.	नकदी प्रवाह विवरणी	91
18.	पच्चीस वर्ष का सार–संग्रह	92

निदेशक मंडल

ड0 एसके सतपति (01–03–2024 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ड0 सीके असनानी (29–02–2024 तक)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

श्री मनोज कुमार (22–08–2024 से)
निदेशक (तकनीकी)

श्री राजेश कुमार (30–06–2024 तक)
निदेशक (तकनीकी)

श्री ए आर सुले (13–03–2024 तक)
अपर सचिव
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार

श्री संजय कुमार (08–11–2023 तक)
संयुक्त सचिव (आई एंड एम)
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार

श्रीमती अंजलि सिन्हा (13–03–2024 से)
संयुक्त सचिव (आई एंड एम)
डीएई, सरकार, भारत सरकार

डा0 कोमल कपूर (09–01–2023 से)
मुख्य कार्यकारी, परमाणु ईंधन परिसर

श्री बी सरवनन (30–04–2024 तक)
निदेशक एएमडी

श्री धीरज पांडे (27–05–2024 से)
निदेशक एएमडी

श्री एस बी मोहंती (01–12–2023 से)
प्रभारी निदेशक (वित्त)

कर्नल सेवानिवृत्त श्री प्रवत कुमार पांडा (24–03–2022 से)
स्वतंत्र निदेशक

श्री बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

केएएसजी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट (ईआर0069)
301, मंगल मूर्ति हाइट्स, रानी बागान, हरमू रोड रांची
पिन – 834001

कार्यकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	डा. एस के सतपति
निदेशक (वित्त)	:	श्री एस बी मोहन्ती
निदेशक (तकनीकि)	:	श्री मनोज कुमार
महाप्रबंधक (सीआर एंड डी / कॉरपोरेट योजना)	:	श्री पी के पारही
महाप्रबंधक (इंजी, सेवाएं, एपी)	:	श्री एम एस राव
महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट)	:	श्री एम के सिघंल
महाप्रबंधक (टीएमडी माइंस एवं मिल समूह)	:	श्री चंचल मन्ना
कंपनी सचिव	:	श्री बी सी गुप्ता

अध्यक्ष के डेस्क से.....

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आपकी कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के खातों का लेखा परीक्षित विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ आपको प्रस्तुत किया जाता है, और आपकी सहमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं।

आपकी कंपनी देश के स्वदेशी परमाणु विद्युत कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए समर्पित है और अपने निष्पादन में निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है।

मुझे वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी ने सभी हितधारकों के समर्पित और ईमानदार प्रयासों से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान U_3O_8 उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। डीएई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ष्अच्छाष माना जाने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्त समझौता ज्ञापन रेटिंगख्डवन, "उचित" थी।

मुझे आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान तुम्मलापल्ली इकाई का प्रदर्शन और प्रगति वार्षिक U_3O_8 उत्पादन के मामले में सराहनीय रही, जिससे उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली।

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम भंडार का भी परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा आगे अन्वेषण किया जा रहा है। सतह से अन्वेषणात्मक खनन के लिए विकसित 80 डिक्लाइन, जमीनी स्तर से 300 मीटर ऊपर 42.8 मीटर की गहराई तक आगे बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, अन्वेषणात्मक खनन कार्य जारी है।

राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, यूसीआईएल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए "रोहिल (सीकर), राजस्थान में 0.75 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) आरओएम क्षमता की भूमिगत खदान और 0.75 एमटीपीए यूरेनियम प्रसंस्करण परिसर के साथ संबद्ध सेवाओं का विकास" परियोजना के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त की हैं।

परियोजना के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, बीएआरसी, मुंबई द्वारा साइट के चारों ओर 'रेडियोलॉजिकल निगरानी' और टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा 'जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य स्थिति सर्वेक्षण' पूरा हो चुका है।

यूसीआईएल ने एसआईए अध्ययन (सामाजिक प्रभाव आकलन) के संचालन के लिए उपायुक्त, सीकर को भूमि अधिग्रहण आवेदन प्रस्तुत किया है। इन कार्यों के पूरा होने पर, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का संकलन शुरू किया जाएगा, ताकि राज्य स्तर पर आगे की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

राज्य सरकार ने गोगी डिपॉजिट के संबंध में एएमसीआर–2016 के अनुसार सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

आपकी कंपनी की अन्य परियोजनाएं अर्थात् तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना, कन्नापल्ली परियोजना और जजावल परियोजना में भी गतिविधियां चल रही हैं।

आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों में अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रथाओं को बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2015 प्रमाणन, और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन बनाए रखती है।

परमाणु ऊर्जा आयोग और सचिव, डीएई द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देश (पत्र संख्या 19/10/2021–पावर/3606 दिनांक 17.03. 2023) के अनुसार, आपकी कंपनी की 25% इक्विटी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा खरीदी गई है।

आपकी कंपनी अपने व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने प्रतिष्ठानों के आसपास के ग्रामीणों के लाभ के लिए सीएसआर योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां चलाती है। सीएसआर गतिविधियां यूसीआईएल प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों के साथ–साथ आगामी परियोजना स्थलों के निवासियों के हित और लाभ को ध्यान में रखते हुए संचालित की गई हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने आपकी कंपनी को सीएसआर खर्च करने वाले शीर्ष 50 सीपीएसई में शामिल किया है। यह यूसीआईएल के लिए गर्व का क्षण है और निरंतर सीएसआर पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, और आपकी कंपनी द्वारा इस भावना को जारी रखा जाएगा।

मैं इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग तथा इसकी विभिन्न घटक इकाइयों अर्थात् बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी, एनपीसीआईएल तथा अन्य को उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं बोर्ड में अपने सहकर्मियों के योगदान के लिए उनके ईमानदार प्रयासों और सभी अवसरों पर समर्पित प्रतिबद्धता के साथ–साथ प्रत्येक स्तर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के योगदान की भी ईमानदारी से सराहना करना चाहता हूं।

अब, मैं निदेशकों की रिपोर्ट, 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता आपके विचार, अनुमोदन और अपनाने के लिए पेश करता हूं।

डॉ. एस.के. सतपति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : जादुगोड़ा

दिनांक : 27 सितंबर 2024

निदेशकों की रिपोट

सेवा में
सदस्यों के लिए
निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों के साथ आपकी कंपनी की 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है।

1.0 प्रदर्शन हाइलाइट्स :

1.1 वित्तीय प्रदर्शन :

(☐. लाख में)

	वर्तमान वर्ष 2023–24	गत वर्ष 2022–23
आय	247264.44	227957.95
मूल्यह्रास से पहले लाभ	58765.59	36142.37
घटाए : (क) मूल्यह्रास	26552.41	26425.07
कर पूर्व लाभ	32213.18	9717.307
घटाएं :		
(क) कर प्रावधान	10811.53	5186.38
(ख) पहले वर्ष के लिए	(2461.72)	
(ग) स्थगित कर प्रावधान		2039.38
कर अदायगी के बाद लाभ	23863.37	6570.30
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	(4130.48)	(843.49)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	19732.89	5726.81

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट आयकर, लाभांश, जीएसटी के कारण राजकोष में 25110.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 26935.61लाख रुपये) का योगदान दिया।

1.2 परिचालन इकाइयों का प्रदर्शन :

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी की सभी परिचालन इकाइयों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। इसने आपकी कंपनी को अपनी स्थापना के बाद से उच्चतम वार्षिक U_3O_8 उत्पादन प्राप्त करने में मदद की है।

1.3 चालू और नई परियोजनाएं :

चालू परियोजनाएं :

झारखंड क्षेत्र

नरवापहाड़ खदान, तुरामडीह खदान और बांदुहुरांग खदान के लिए दिए गए दीर्घकालिक विकास और उत्पादन अनुबंध अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, दीर्घकालिक एमडीओ अनुबंध के माध्यम से भाटिन खदान से उत्पादन गतिविधियां फिर से शुरू कर दी गई हैं।

बदलती भू–खनन स्थिति, विकसित हो रहे भूमिगत खनन लेआउट और पुराने खनन उपकरणों की बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए, स्थलों पर नए ट्रैकलेस खनन उपकरण प्राप्त हुए हैं।

जादूगोड़ा और भाटिन के मौजूदा खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर खोजे गए अतिरिक्त अयस्क संसाधनों को निकालने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने का कार्य शुरू कर दी गयी है और यह अग्रिम चरण में है।

आंध्र प्रदेश क्षेत्र

यूसीआईएल की तुम्मलापल्ली इकाई ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है और अब तक का उच्चतम मासिक और वार्षिक U_3O_8 उत्पादन हासिल किया है। मार्च 2020 में शुरू हुए

दीर्घकालिक खदान विकास और संचालन अनुबंध के एक भाग के रूप में तुम्मलपल्ली खदान के पश्चिमी भाग का विकास भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।

नई परियोजनाएं

1. **तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना, वाईएसआर जिला, आंध्र प्रदेश**

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने तुम्मलापल्ली खदान के गहरे स्तर में अतिरिक्त अयस्क संसाधन सौंप दिए हैं। इसे देखते हुए, यूसीआईएल ने परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय [एमडी], से अनुरोध किया है कि वह एएमसीआर–2016 के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस मामले को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालयख्.एम.डी., के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

2. **कन्नमपल्ली परियोजना, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला**

राज्य सरकार को अभी भी एएमसीआर–2016 के अनुसार सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करना बाकी है। हालांकि, कन्नमपल्ली खनन ब्लॉक में 800 मीटर की ऊर्ध्वाधर गहराई तक अतिरिक्त संसाधनों के हस्तांतरण के कारण, यूसीआईएल ने एएमडी से एएमसीआर–2016 के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार को संशोधित भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। इस मामले को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालयख्.एम.डी., के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

3. **गोगी और कंचनकायी परियोजनाएं, कर्नाटक का यादगीर जिला**

राज्य सरकार ने गोगी डिपॉजिट के संबंध में एएमसीआर–2016 के अनुसार सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

जिला प्रशासन ने कंचनकायी निक्षेप के संबंध में सटीक क्षेत्र और भूमि अनुसूची का सीमांकन कर लिया है तथा उसे खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, बेंगलुरू को सौंप दिया है। संभावित पट्टेदार (यूसीआईएल) को नामित करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा है।

4. **रोहिल अन्वेषक खनन परियोजना, सीकर जिला, राजस्थानं**

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम भंडार का अन्वेषण परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गोगी निक्षेप के संबंध में एएमसीआर–2016 के अनुसार सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

जिला प्रशासन ने कंचनकायी जमा के संबंध में सटीक क्षेत्र और भूमि अनुसूची का सीमांकन किया है और खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, बैंगलोर को सौंप दिया है। सरकार द्वारा डीएई को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करना। संभावित पट्टेदार (यूसीआईएल) के नामांकन के लिए कर्नाटक सरकार की प्रतीक्षा की जा रही है।

अन्वेषण और अनुसंधान (एएमडी)। सतह से खोजपूर्ण खनन के लिए विकसित 8° डिक्लाइन 300 मीटर आगे बढ़कर, जमीनी स्तर से 42.8 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, यूसीआईएल ने पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से "रोहिल (सीकर), राजस्थान में संबद्ध सेवाओं के साथ 0.75 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) आरओएन क्षमता की भूमिगत खदान और 0.75 एमटीपीए यूरेनियम प्रसंस्करण परिसर का विकास" परियोजना के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त की हैं।

सलाहकार द्वारा मौसम संबंधी निगरानी, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी, ध्वनि स्तर निगरानी, सतही और भूजल गुणवत्ता निगरानी, यातायात घनत्व अध्ययन आदि के लिए पर्यावरणीय आधारभूत डेटा सृजन कार्य शुरू किया गया है। नवीनतम उपग्रह चित्रों के आधार पर भूमि उपयोग/भूमि आवरण विश्लेषण, मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन, पारिस्थिति की विशेषताओं (वनस्पति एवं जीव) का अध्ययन, जल विज्ञान एवं जल भूविज्ञान का अध्ययन प्रगति पर है।

परियोजना के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, बीएआरसी, मुंबई द्वारा साइट के चारों ओर रेडियोलॉजिकल निगरानी और टाटा मेमोरियल सेंटर,

मुंबई द्वारा जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य स्थिति सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यूसीआईएल ने एसआईए अध्ययन (सामाजिक प्रभाव आकलन) के लिए डीसी, सीकर को भूमि अधिग्रहण आवेदन प्रस्तुत किया है। इन कार्यों के पूरा होने पर, राज्य स्तर पर आगे की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने हेतु ईआईएध्ईएमपी का संकलन शुरू किया जाएगा।

5. जाजावल परियोजना, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़

परमाणु खनिज निदेशालयख्ए.एम.डी., ने ए.एम.सी.आर. –2016 के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट डी.एम.जी., छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्तुत की। भूविज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम), छत्तीसगढ़ ने एएमसीआर–2016 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज संसाधन विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार, सर्वेक्षण संख्या के साथ सटीक क्षेत्रों के साथ पहचाने गए और सीमांकन किए गए क्षेत्र पर खनन पट्टा देने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसमें विभाग (डीएई) के कहने पर ऐसे खनन पट्टे देने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली एक सरकारी कंपनी या निगम (यूसीआईएल) को नामित करने का अनुरोध किया जाएगा। यूसीआईएल इस मामले को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ा रहा है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

6. गराडीह परियोजना, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में

नरवापहाड़ और तुरामडीह के बीच स्थित गराडीह क्षेत्र में 280–300 मीटर की ऊर्ध्वाधर प्रभाव तक खोजे गए यूरेनियम संसाधनों के आधार पर, यूसीआईएल ने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ झारखंड सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए डीजीपीएस निर्देशांक एएमडी को सौंप दिए। इस बीच, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालयख्।डक, द्वारा सतह से 450–570 मीटर नीचे तक आगे की खोज जारी है। एएमसीआर–2016 के अनुसार परमाणु खनिज निदेशालयख्एएमडी, द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना लंबित है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

7. बानाडुंगरी परियोजना, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड

यूसीआईएल ने बानाडुंगरी क्षेत्र, जो नरवापहाड़ निक्षेप का पश्चिमी विस्तार है, में खनिजीकरण की स्थापना के बाद तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने का कार्य शुरू किया। यूसीआईएल ने एएमडी को पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक उपलब्ध करा दिए हैं। एएमडी ने आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एएमसीआर–2016 के अनुसार झारखंड सरकार के खनन एवं भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। झारखंड सरकार ने सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है, जो अभी पूरा होना बाकी है। एएमसीआर 2016 के अनुसार सभी गतिविधियों के पूरा होने पर, झारखंड सरकार, विभाग (डीएई) के कहने पर खनन पट्टा देने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली किसी सरकारी कंपनी या निगम को नामित करने का अनुरोध करेगी। यूसीआईएल इस मामले को झारखंड राज्य सरकार के साथ आगे बढ़ा रहा है।

1.4 एमओयू का प्रदर्शन :

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के संदर्भ में आपकी कंपनी का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त उच्चतम यूरेनियम उत्पादन पर आधारित होने की उम्मीद है।

2.0 लाभांश और लाभांश पर कर

आपके निदेशकगण 19501 लाख रुपये के लाभांश की अनुशंसा करते हुए प्रसन्न हैं और यह 2,09,461.78 लाख रुपये की चुकता पूंजी पर वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश होगा (पिछले वर्ष लाभांश राशि 10200 लाख रुपये थी)।

4.0 ऊर्जा / प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और प्रयुक्त एवं अर्जित विदेशी मुद्रा का संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में नियम–8 इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में दिए गए हैं।

5.0 औद्योगिक संबंध :

आपकी कंपनी में आलोच्य अवधि के दौरान सभी इकाइयों में औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहे। कल्याण, पदोन्नति, प्रशासन, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रबंधन और उनके श्रमिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियनों द्वारा सौहार्दपूर्ण माहौल में नियमित चर्चाएं हुईं और प्रबंधन के समक्ष रखी गई शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी में औद्योगिक शांति और सद्भाव कायम रहा तथा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बेहतर निष्पादन प्राप्त हुआ।

6.0 श्रमशक्ति :

31 मार्च 2024 तक आपकी कंपनी की कुल जनशक्ति 4255 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का समग्र प्रतिनिधित्व कुल कार्यबल का लगभग 54.24% है। 31.03.2024 तक कंपनी में कुल 10 शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) कर्मचारी हैं। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए कोटा भरने के लिए प्रयास जारी रखा।

7.0 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

कंपनी में सभी स्तरों पर स्वस्थ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी इकाइयों में शॉप काउंसिल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, शॉप काउंसिल की 10 बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना, कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी आदि के न्यासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कर्मचारियों को सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंध समिति, खेल परिषद आदि जैसे विभिन्न मंचों के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा श्सार्वजनिक उपयोगिता सेवाश के अंतर्गत भी घोषित किया जा रहा है।

8.0 मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण :

आपकी कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों के माध्यम से अपने मानव संसाधन को विकसित करने के प्रयास जारी रखे हुए है। कंपनी द्वारा सभी श्रेणी के कर्मचारियोंय नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों आदि को नियमित आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, 162 अधिकारियों (ग्रुप ए–137 और ग्रुप बी–25) ने यूसीआईएल के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

उपरोक्त के अलावा, कर्मचारियों को नियमित आधार पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमोंध्ऑफलाइन वेबिनारों में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

9.0 सुरक्षा :

आपकी कंपनी द्वारा खानों और मिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए खनन उद्योग में नए उपकरणों और प्रक्रियाओं को लागू करके एक संरचित आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। शून्य दुर्घटना संभावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रचलित सुरक्षा मानकों की समय–समय पर समीक्षा की गई।

प्रमुख सुरक्षा निर्णय संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा लिए जाते हैं, जो कॉर्पोरेट स्तर पर मिलों और खानों के संचालन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यूसीआईएल की सभी इकाइयों में स्वतंत्र रूप से संचालित स्वास्थ्य भौतिकी इकाइयां, परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह रेडियोलॉजिकल सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी विनियामक आवश्यकताओं की समीक्षा कॉर्पोरेट स्तर की सुरक्षा समिति द्वारा की जाती है। कंपनी की विभिन्न सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी से सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने में मदद मिलती है। शीर्ष सुरक्षा समिति नियमित रूप से बैठक करती है और कंपनी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करती है।

10.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

आपकी कंपनी अपने व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सीएसआर पहलों को मूल मूल्यों के अनुरूप क्रियान्वित किया गया है, जैसे हितधारकों के हितों की रक्षा, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय सहभागिता तथा समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करना।

यूसीआईएल की सीएसआर गतिविधियां निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित हैं, जिसका लक्ष्य कंपनी के परिचालन क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है।

शिक्षा – सरकार के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अपने परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन कराकर आसपास के गांवों के वंचित छात्रों को शिक्षा प्रदान करना जारी रखा है। इन विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार नियमों के तहत निर्धारित वर्दी, जूते, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि के साथ वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान किए गए। आपकी कंपनी ने आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले स्थानीय समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति, नोटबुक और स्कूल बैग प्रदान करके सहायता करना जारी रखा।

आपकी कंपनी ने सत्र 2023–24 के लिए एईसीएस, जादुगोड़ा, नरवापहाड़ और तुरामडीह के कक्षा IX में पदोन्नत आरटीई छात्रों (64 संख्या) के लिए स्कूल फीस भी प्रदान की। तुम्मलापल्ली क्षेत्र के आसपास के गांवों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। लुगु मुर्मू आवासीय जनजातीय विद्यालय, भाटिन के 80 छात्रों के लिए खेल सामग्री, अध्ययन सामग्री की खरीद के लिए अवसंरचना सहायता प्रदान की गई है।

पेयजल और स्वच्छता–आपकी कंपनी ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए केरवाडुंगरी गांव में जलमीनार के लिए सबमर्सिबल पंप, स्टार्टर और फ्लैट केबल की खरीद सहित मोहुलडीह और आमडीह गांवों में जलमीनार के साथ दो (02) गहरे बोरवेल का निर्माण शुरू किया है। इसके क्रम में प्राथमिक विद्यालय सीताडांगा में भी सोलर वाटर टैंक की व्यवस्था की गई है।

जादूगोड़ा और तुरामडीह खान समूह के साथ–साथ तुम्मलपल्ली खान के आसपास के गांवों में पानी के टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध प्रदान किया गया था और क्रमशः तुम्मलपल्ली और झारखंड इकाइयों के आसपास के गांवों में मौजूदा आरओ संयंत्रों और ट्यूबवेलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी एएमसी प्रदान किया गया था। तुम्मलापल्ली खदान के आसपास के सीएसआर के ताहत के गांवों में आरओ प्लांट ऑपरेटरों (09) को मानदेय का भुगतान किया गया है। आपकी कंपनी ने भूमैयागरीपल्ली और राचाकुंटापल्ली गांवों में आरओ संयंत्र के उन्नयन का कार्य शुरू किया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान तालसा गांव में प्राथमिक सरकारी स्कूल और सुंदरनगर, तुरामडीह में कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। बीडीएसएल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, मुसाबनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवासीय छात्रों के लिए शौचालय ब्लॉक और हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तालसा के 03 दिव्यांग बच्चों और नांदुप गांव की 01 दिव्यांग महिला के लिए घरेलू शौचालय सह स्नानघर का निर्माण पूरा हो गया है।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत खदानों के भीतर तथा टाउनशिप में आस–पास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए। जादूगोड़ा मोड़ पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय के रख–रखाव तथा यूसीआईएल जादूगोड़ा के कॉलोनी गेट से रियर गेट तक पीडब्ल्यूडी रोड में सफाई एवं स्वीपिंग कार्य के लिए एएमसी को एक बार फिर अनुबंध प्रदान किया गया। स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने, ग्रामीणों को संवेदनशील बनाने और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बुनियादी सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए तुम्मलापल्ली और झारखंड इकाइयों में आसपास के गांवों में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।

कौशल विकास – तुरामडीह स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, फिटर और वेल्डिंग के व्यवसायों में तकनीकी कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सतत आजीविका के लिए हो संघर्ष महिला समिति द्वारा 20 बेरोजगार महिलाओं को कटाई और सिलाई कौशल पर छह महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और सीएसआर के तहत उन्हें सिलाई मशीनें भी प्रदान की गई हैं।

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्ग्रामीण जागरूकताश प्रशिक्षण कार्यक्रम से आसपास के गांवों के वंचित और महत्वाकांक्षी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्षाएं और कैरियर परामर्श पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

विकास परियोजनाएं –आपकी कंपनी द्वारा कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जैसे तालसा और धातकीडीह गांव में प्लेटफार्म और शेड का निर्माण, नांदुप में जाहेरस्थान की चारदीवारी (द्वितीय चरण) का निर्माण, तुरामडीह में सामुदायिक हॉल का निर्माण, डोमजुरी गांव में फुटबॉल गैलरी के निर्माण के साथ फुटबॉल मैदान का समतलीकरण आदि।

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, सीएसआर फंड के माध्यम से सामुदायिक हॉल के निर्माण, जादूगोड़ा बर्निंग घाट (शमसान घाट) से डीसी कार्यालय तक हाई मास्ट लाइट के निर्माण लिए भी योगदान दिया गया है।

सामाजिक समर्थन – यूसीआईएल की परिचालन इकाइयों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए, यूसीआईएल ने नीचे उल्लिखित गतिविधियों को अंजाम देकर जिम्मेदारी से सामाजिक समर्थन प्रदान किया।

(i) बेहतर पोषण के लिए योगदान

यूसीआईएल ने भारत सेवाश्रम संघ, सबरनगर के बालिका छात्रावास की 127 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा रुस्तमजी पी. पटेल चेशायर होम सुंदर नगर के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग 50 विशेष निवासियों को उनके चिकित्सा व्यय और पूरक आहार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ii) कंबल का वितरण

इस वित्तीय वर्ष में संचालित खानों, आदिवासी छात्रावासों और भारत सेवाश्रम संघ, देबांकी आश्रम (पोटका ब्लॉक) के आसपास सर्दियों के मौसम में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच 20,000 कंबल वितरित किए गए हैं।

(iii) सतत विकास और लोगों का कल्याण

आंध्र प्रदेश राज्य के सतत विकास कार्यक्रम के रूप में आपके निगम ने निम्नलिखित के लिए योगदान दिया हैय

1. भुमैय्यागारिपल्ली गांव में येरमा वांका और चेरुवा वांका में वेंटेड स्लैब पुलिया का निर्माण,
2. लड़कियों के लिए केजीबीवी स्कूल और लड़कों के लिए डॉ बी आर अंबेडकर गुरुकुलम पाठशाला में आवश्यक खेल और रसोई उपकरणों की खरीद,
3. स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों की सुविधा प्रदान करने के लिए परेड ग्राउंड का विकास,

उपरोक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने आवासीय भारत सेवाश्रम संघ दवंकी छात्रावास में अध्ययनरत 220 आदिवासी छात्रों के लिए दवंकी आश्रम हेतु 110 डबल रैक लौह बिस्तर की खरीद हेतु 11.33 लाख रुपये का योगदान दिया है।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

नेत्र ज्योति यज्ञ योजना के तहत मोतियाबिंद रोगियों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण करने तथा पूर्वी सिंहभूम में संचालित खदानों के निकटवर्ती गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर जरूरतमंद ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी, जमशेदपुर को 30 लाख रुपये का योगदान दिया गया है।

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम) में फिजियोथेरेपी केंद्र के लिए एक कमरे (50श • 40श) का निर्माण पूरा हो गया है।

रोहिल (राजस्थान) परियोजना के आसपास व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई को योगदान दिया गया है। इन शिविरों के आयोजन से सामान्य बीमारियों और स्थितियों की जांच सहित व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं पर शैक्षिक सत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। आस–पास के ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तुम्मलापल्ली (आंध्र प्रदेश) में त्वचा विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक, एम्बुलेंस, दवाइयों की खरीद आदि की तैनाती भी जारी रही।

रोहिल क्षेत्र के स्थानीय और आस–पास के गांवों के गरीब मरीजों के लाभ के लिए "स्वास्थ्य देखभाल" सुविधाओं के उन्नयन के लिए, सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/उप जिला अस्पताल खंडेला में सुविधा निर्माण के लिए एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, आटोक्लेव (क्षैतिज), स्वचालित ईएसआर विश्लेषक, आर्थोपेडिक ऑपरेटिंग टेबल, डबल डोम सीलिंग ओटी लाइट, इलेक्ट्रिक फ्यूमिगेटर प्रदान किया गया है।

आवश्यकता पड़ने पर, स्थानीय आबादी की सामान्य दिन–प्रतिदिन की स्वास्थ्य समस्याओं का भी यूसीआईएल अस्पतालों द्वारा ध्यान रखा जाता है तथा समय–समय पर एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(v) रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना

स्वरोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, आस–पास के गांवों की स्वयं सहायता समूहों की स्थानीय महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें सिलाई/टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें सिलाई मशीन भी प्रदान की जाती है। उन्हें स्वरोजगार सृजन के लिए पत्तों से कटोरा(डोना) बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(vi) स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता

तुरामडीह यूनिट के आसपास रहने वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता पर सेमिनार आयोजित किया गया। आसपास के गांवों में ग्रामीण आबादी के बीच विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय पंचायत भवनध्सामुदायिक केंद्र में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शैक्षणिक पत्रिकाएं, विभिन्न विषयों की पत्रिकाएं भी वितरित की जाती हैं।

(vii) खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

कमांड क्षेत्र के निकटवर्ती गांवों में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, फुटबॉल कोचिंग शिविर का आयोजन किया गया, खेल किट प्रदान किया गया, वर्ष 2023–24 के लिए झारखंड खेल संघ द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में प्रीमियर डिवीजन के लिए योग्य फुटबॉल खिलाड़ियों को मानदेय प्रदान किया गया, गांव स्तर पर आयोजित अंतर गांव फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के लिए खेल सामग्री और पुरस्कार प्रदान किए गए, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल के प्रचार और विकास के लिए जमशेदपुर में राष्ट्रीय दृष्टिहीन फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए 250 खिलाड़ियों (12 पुरुष टीम और 10 महिला टीम) के लिए आवास और भोजन के लिए 06 दिनों का प्रायोजन किया गया, खेल गतिविधियों के संचालन और विभिन्न त्योहारों आदि के उत्सव के लिए स्थानीय युवा क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। स्थानीय आदिवासियों को पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र भी प्रदान किए गए।

(viii) सशस्त्र सेना झंडा दिवस

भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) हेतु 10 लाख रुपये का योगदान प्रदान किया गया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल सीएसआर व्यय 998.57 लाख रुपये होगा (वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों का नोट 27–सी)।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशक कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा की अध्यक्षता में सीएसआर समिति का गठन किया है। वर्ष 2023–24 के दौरान 28.04.2023, 25.08.2023, 16.11.2023 और 06.03.2024 को चार सीएसआर समिति की बैठकें आयोजित की गईं। 31.03.2024 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

1 कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष
2 श्रीमती अंजलि सिन्हा (संयुक्त सचिव), आई एंड एम, परमाणु ऊर्जा विभाग : सदस्य
3 डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी : सदस्य
4 श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल : सदस्य
5 निदेशक (वित्त) यूसीआईएल : सदस्य

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए यूसीआईएल के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के नोट 27 (सी) के अनुसार, जिसे 16.07.2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक संख्या 288 में रखा गया और अनुमोदित किया गया, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर व्यय निम्नानुसार है :

लाखों में रुपये

कंपनी अधिनियम, 2103 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वर्षों का कुल शुद्ध लाभ	149785.68
शुद्ध लाभ का औसत (PBT)	49928.56
सीएसआर के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रतिशत	2%
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	998.57
वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तव में खर्च की गई राशि	9095.93
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अतिरिक्त सीएसआर व्यय से निर्धारित की जाने वाली राशि	88.63
सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध शेष अतिरिक्त सीएसआर व्यय	44.19

(31.03.2025 तक सेट–ऑफ किया जाएगा)

लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार यह स्पष्ट है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर मदों पर 218.93 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है और इसे कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अगले तीन वित्तीय वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022–23 और उसके बाद) के लिए समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 86.11 लाख रुपये की कमी को यूसीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021–22 में यूसीआईएल द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से समायोजित किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जुटाई गई 88.64 लाख रुपये की कमी को भी वित्त वर्ष 2021–22 में खर्च की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से समायोजित कर दिया गया है। समायोजन के बाद, 31.03.2025 तक भविष्य के लिए 44.19 लाख रुपये की शेष अधिशेष राशि उपलब्ध है।

संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 7 (3) के अनुसार, जहां कोई कंपनी उप–धारा 135(5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध तुरंत बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक समायोजित किया जा सकता है।

11.0 कॉर्पोरेट गवर्नेंस :

कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी एक रिपोर्ट अनुपत्र–II में दी गई है।

12.0 सार्वजनिक जमा :

आपकी कंपनी जनता से ष्जमाष स्वीकार नहीं करती है।

13.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण :

आपकी कंपनी निरंतर सुधार के साथ सतत विकास के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं की भावना को बनाए रखती है और अपनाती है। आपकी कंपनी अपनी सभी इकाइयों के आसपास पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है। जादूगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ली में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (ठ।त्ब्) की स्वास्थ्य भौतिकी इकाई सभी परिचालनों और उसके आसपास के क्षेत्रों की समय–समय पर रेडियोलॉजिकल और पर्यावरण निगरानी करती है। वायु पर्यावरण में बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन सांद्रता, निलंबित कण पदार्थ, हवा में लंबे समय तक रहने वाली अल्फा गतिविधि की निगरानी की जाती है। क्षेत्र के सतही और भूजल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों और कृषि उपज में रेडियो न्यूक्लाइड की सांद्रता की समय–समय पर निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी ने अपनी सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण निगरानी और वैधानिक अनुपालन के लिए एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यावरण इंजीनियरिंग सेल (ईईसी) की स्थापना की है। सभी संचालित खदानों और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और अन्य नियामक निकायों से वैधानिक अनुमति दी गई है। सतत विकास और संसाधन संरक्षण की दिशा में, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सभी खदानों के निर्वहन के पुनरू उपयोग और पुनर्चक्रण के प्रयास किए गए हैं। संबंधित खदानों से निकटतम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों तक खदानों के निर्वहन को इकट्ठा करने के लिए कई किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। खदान से निकलने वाले अपशिष्ट को सतह पर एकत्र किया जाता है और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से पुनरू उपयोग किया जाता है। टाउनशिप से निकलने वाले सीवेज का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में किया जाता है। उपचारित सीवेज को ग्रीनबेल्ट सिंचाई और बागवानी के लिए आंशिक रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाले उपचारित अपशिष्ट जल का आंशिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। निर्धारित निर्वहन मानकों के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पहले ईटीपी और एसटीपी से अतिरिक्त उपचारित निर्वहन की नियामक अनुपालन के लिए निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी ने जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान के लिए जादुगोड़ा में एक सामान्य भस्मक चालू किया है। झारखंड में कंपनी के सभी अस्पतालों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्टों का उपचार सामान्य निपटान सुविधा में किया जाता है। विशेषज्ञों की मदद से कचरे के निपटान के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। आपकी कंपनी ने अपनी खदानों और टेलिंग तालाब के आसपास के इलाकों में कचरे के ढेरों का क्रमिक उपचार किया है। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, कंपनी क्रमिक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है। आपकी

कंपनी एक ISO-14001:2015 प्रमाणित संगठन है। जादुगोड़ा, तुरामडीह और नरवापहाड़ में भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण किया गया है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ISO-14001:2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव करती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए यूसीआईएल की सभी इकाइयों में वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

14.0 आईएसओ प्रमाणनः

आपकी कंपनी एक ISO-14001:2015 प्रमाणित संगठन है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी आईएसओ –14001:2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखती है। कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी लागू की जो आईएसओ 45001रू 2018 में निर्धारित आवश्यकता को पूरा करती है।

15.0 लघु और मध्यम स्तर के उद्योग (एसएमई)

सरकारी निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी समाज के समावेशी विकास की दिशा में अपने संचालन में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों की भूमिका का स्वागत करती है और मान्यता देती है। 20232–24 के दौरान एसएमई को दिए गए ऑर्डर लगभग 228.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 231.37 करोड़ रुपये) थे।

16.0 विदेश यात्रा

वर्ष 2023–24 के दौरान विदेश यात्रा पर व्यय 8.26 लाख रुपये (पिछला वर्ष –शून्य) था।

17.0 विज्ञापन और प्रचार

वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार पर व्यय 110.77 लाख रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 30.83 लाख रुपये था। यह खर्च ज्यादातर नई नियुक्तियों, निविदा नोटिस आदि के संबंध में विज्ञापनों के लिए था। आपकी कंपनी अपने विज्ञापन और प्रचार व्यय के प्रबंधन के लिए विज्ञापन और प्रचार के लिए अपनी वेबसाइट के उपयोग को लगातार बढ़ा रही है।

18.0 हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, यूसीआईएल राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हिंदी अनुभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य देखता है तथा इस संबंध में जारी विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न परिपत्र एवं आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रशासनिक प्रमुख के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। हिंदी अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी कार्यशालाएं, हिंदी प्रचार गतिविधियां जैसे हिंदी पखवाड़ा समारोह आदि आयोजित करता है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण एवं प्रारूपण, स्वरचित कविता, भाषण, पत्र लेखन, अनुवाद एवं प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा हिंदी पखवाड़ा समारोह के समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कृत भी किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी 'वार्षिक कार्यक्रम' में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। यूसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति ख्आईओसीएल, तिमाही आधार पर हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। यह उचित सुझाव देती है और उठाए जाने वाले कदमों की संस्तुति करती है तथा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय योगदान देती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलीक), जमशेदपुर द्वारा वर्ष–2023 के दौरान हिंदी कार्यशाला और अनुषंगी कार्य के लिए यूसीआईएल को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

19.0 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

मेसर्स केएएसजी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ईआर0069) 301, मंगल मूर्ति हाइट्स रानी बागान, हरमू रोड, रांची –834001 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

20 लागत लेखापरीक्षा

मेसर्स के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में

नियुक्त किया गया था। कंपनी लागत लेखांकन रिकॉर्ड (खनन और धातुकर्म) नियम 2001 के तहत निर्धारित अनुसार, कंपनी द्वारा लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखा जा रहा है।

21.0 सतर्कता

कंपनी संगठन के निर्धारित नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करके निवारक सतर्कता का उच्च मानक बनाए रखती है। सीवीसी के दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर उनका सख्ती से पालन किया जाता है। सभी प्रकार के निविदा आमंत्रण नोटिस ख्एनआईटी, कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल ख्सीपीपीपी, पर अपलोड किए जा रहे हैं। सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 2.00 लाख से अधिक की अनुमानित लागत वाली सभी खरीद और सेवाओं के लिए ई–खरीद अनिवार्य कर दी गई है।

वर्ष के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पारदर्शिता में सुधार के लिए, "ईमानदारी समझौता" और धोखाधड़ी रोकथाम नीतिध्व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे लागू किया गया है। सतर्कता इकाई का नेतृत्व पूर्णकालिक सीवीओ, श्री रोहित आर.पी. कुजूर, आईओएफएस द्वारा किया जाता है, जो यूसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें यूसीआईएल की विभिन्न इकाइयों के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करने वाले 10 अंशकालिक सतर्कता अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सुधार के लिए सुझाव, संविदा कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्डिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, नकली उपस्थिति की समस्या समाप्त हो गई है।

यूसीआईएल में 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2023 मनाया गया, जिसका विषय था भ्रष्टाचार को नकारेंय राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों। जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में क्विजध्पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, हाउसकीपिंग गतिविधियाँ, निवारक सतर्कता पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ग्राम सभा सदस्यों के बीच सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विक्रेता बैठक जैसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए।

22.0 निदेशक की नियुक्ति

निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तिथि
डॉ. एस.के. सतपति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल	01-03-2024
श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएइ	13-03-2024
श्री धीरज पांडे	27-05-2024
श्री मनोज कुमार	22-08-2024
श्री एस बी मोहंती, निदेशक वित्त आईआरईएल इंडिया लिमिटेड	
अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (वित्त) यूसीआईएल।	01-12-2022

झारखंड के मुख्य सचिव बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। (मुख्य सचिव की नियुक्ति के संबंध में सहमति एवं अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं)

श्री अनुत्तम मिश्रा, निदेशक (तकनीकी), आईआरईएल इंडिया लिमिटेड को डीएई पत्र संख्या 10/5(1)/024–पीएसयू/9637 दिनांक 03.07.2024 के तहत 08.07.2024 से 22.08.2024 की अवधि के दौरान यूसीआईएल के निदेशक (तकनीकी) के पद के दैनिक कामकाज को संभालने का प्रभार सौंपा गया था।

निदेशकों की समाप्ति :

डॉ. सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल	29.02.2024
श्री बी सरवनन, निदेशक, एएमडी	30.04.2024
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी)	30.06.2024
श्री ए. आर. सुले, अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	13.03.2024
श्री संजय कुमार संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	08.11.2023
श्री सुखदेव सिंह, आईएएस, पूर्व मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	07.12.2023

निदेशकगण यूसीआईएल बोर्ड के उपर्युक्त सदस्यों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना करना चाहते हैं

23.0 दृष्टिकोण

आपकी कंपनी का समग्र प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट बना हुआ है। आपकी कंपनी ने विभिन्न ग्रीन और ब्राउन फील्ड विस्तार परियोजनाओं से संबंधित परियोजना–पूर्व गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम परियोजना को खोलने के लिए खनन पट्टे देने के लिए आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रोहिल यूरेनियम परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी देने के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) जारी की हैं। मेकॉन द्वारा पर्यावरण डेटा निर्माण, एचपीयू, बीएआरसी द्वारा रेडियोलॉजिकल निगरानी, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई आदि द्वारा जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे आधारभूत अध्ययन रोहिल

साइट पर प्रगति पर हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर, राज्य सरकार को आगे की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने के लिए ईआईएध्ईएमपी रिपोर्ट का संकलन किया जाएगा।

24.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक बताते हैं :

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

(ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) आपके निदेशकों ने वार्षिक लेखे ष्चलती चिंताष के आधार पर तैयार किए हैं।

(v) आपके निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

25.0 पावती

कंपनी एईसी के अध्यक्ष और सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त सचिव, डीएई और संयुक्त सचिव (आईएंडएम), डीएई और उनके अधिकारियों की टीम, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और उनकी टीम, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के निदेशक और उनकी टीम, मुख्य कार्यकारी, परमाणु ईंधन परिसर और उनकी टीम, एनपीसीआईएल, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य मंत्रालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड– प्ट, नई दिल्ली, बैंकर्स और अन्य सभी एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कंपनी से जुड़ी हैं, से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त करती है। कर्मचारी संघों और अधिकारी संघ द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। आपकी कंपनी यूसीआईएल की सुविधाओं के आस–पास रहने वाले समुदाय, स्थानीय मीडिया और देश के प्रमुख और जिम्मेदार नागरिकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहती है।

निदेशक मंडल की ओर से

(डॉ. एस.के. सतपति)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई

दिनांक : 27 सितंबर 2024

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में नियम–8

- **ऊर्जा का संरक्षण :**

a) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय क्रियान्वित / शुरू किए गए

➢ पारंपरिक लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों की सपिना

b) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं :

i) प्रकाश फीडरों के लिए ऊर्जा बचत पैनलों की सीपना

ii) ऑन–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र

c) (ए) और (बी) में उपायों का प्रभाव

उपरोक्त उपाय के कारण कुल ऊर्जा की बचत : 9,28,219 KWH

अर्जित एवं प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :

आपकी कंपनी किसी निर्यात व्यवसाय में संलग्न नहीं है। हालाँकि, वर्ष के दौरान सीआईएफ आधार पर स्पेयर, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए इस्तेमाल की गई विदेशी मुद्रा शून्य रुपये थी (पिछले वर्ष शून्य)

फार्म–बी

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र :

झारखंड क्षेत्र

विशेष क्षेत्र जिनमें अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां की गईं

1. रेजिन के पुनर्जनन के दौरान उत्पादित द्रव में मौजूद अशुद्धियों से जुड़े अवशिष्ट यूरेनियम की पुनर्प्राप्ति के लिए विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। स्केल–अप अध्ययन किए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश क्षेत्र

1. अध्ययनों के आधार पर, न्यूट्रल और लीच निस्पंदन सर्किट दोनों के लिए फिल्टर क्लॉथ की 'निर्माण सामग्री (एमओसी)' को पॉलिएस्टर से पॉलीप्रोपाइलीन में बदल दिया गया ताकि कपड़े का जीवन बढ़ सके और बेहतर निस्पंदन दक्षता हो सके। सभी क्षैतिज बेल्ट फिल्टर (एचबीएफ) के फिल्टर क्लॉथ के बदलाव की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

2. तुम्मलापल्ले परियोजना यूरेनियम अयस्क से यूरेनियम की पुनर्प्राप्ति के लिए उच्च तापमान और उच्च दबाव निक्षालन प्रौद्योगिकी को अपनाती है। यह प्रक्रिया दो बड़े आटोक्लेवों में होती है, जिनमें से प्रत्येक में शीर्ष पर छह एजिटेटर लगे होते हैं। इसके लिए बहुत महंगी विशेष प्रकार की मैकेनिकल सीलिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसे पहले आयात किया जाता था। इस प्रणाली में विफलता की आवृत्ति बहुत अधिक है। इन वस्तुओं के लिए एक–चौथाई कीमत पर स्वदेशी आपूर्तिकर्ता विकसित किए गए। इसके अलावा, मूल आंतरिक यांत्रिक सील, जो थ्रेडिंग के माध्यम से जुड़े दो अलग–अलग टुकड़ों से बनी है, को संरेखण बनाए रखने के लिए आर्गन वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किया गया है, जिससे आंतरिक घूर्णनशील सील चेहरे के साथ बाहरी स्थिर सील चेहरे की किसी भी तरह की रगड़ की संभावना समाप्त हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप सीलिंग प्रणाली की विफलताओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
(a) पूंजी	शून्य	7.51 लाख
(b) राजस्व	1234.97 लाख	1172.45 लाख
कुल	1234.97 लाख	1179.96 लाख

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबध – II
निगम संचालन

आपकी कंपनी अपने परिचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाब देही और ईमानदारी के अधिकतम स्तर को प्राप्त करते हुए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनाने में विश्वास करती है और इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

निदेशक मंडल:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की पूरी चुकता पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें इसके नामांकित व्यक्तियों के पास मौजूद 3 शेयर भी शामिल हैं।

बोर्ड में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का संयोजन है। बोर्ड में दस निदेशक शामिल हैं जिनमें (प) तीन पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) और (पप) सात अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। जेम बोर्ड की बैठक नियमित अंतराल पर होती है और यह कंपनी के उचित निर्देशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छह बैठकें 28.06.2023, 31.07.2023, 13.09.2023, 27.09.2023, 19.12.2023 और 27.03.2024 आयोजित की गई। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठकध्असाधारण आम बैठक में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है :

नाम और पद दिनांक 31.03.2024 तक	वर्ग	बोर्ड बैठक		27.09.2023 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए		
कार्यकारी निदेशक					
डॉ. सी.के.असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 29.02.2024 तक	कार्यात्मक	05	05	हाँ	–
डॉ. एस.के. सतपति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01.03.2024 से	कार्यात्मक अतिरिक्त प्रभार	01	01	लागु नहीं	
निदेशक (वित्त)– फरवरी 2022 से रिक्त पद	कार्यात्मक		–	–	–
श्री एस बी मोहंती, निदेशक (वित्त),01.12.2023 से	कार्यात्मक अतिरिक्त प्रभार	02	02		
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी)	कार्यात्मक	06	06	–	–
गैर–कार्यकारी निदेशक					
मुख्य सचिव, झारखंड सरकार	अंशकालिक पदेन	04	–	–	–
श्री ए.आर.सुले,संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	अंशकालिक पदेन	05	05	हाँ	–
श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), डीएई	अंशकालिक पदेन	04	04	हाँ	–
श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	अंशकालिक पदेन	01	01	लागु नहीं	–
डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	अंशकालिक पदेन	06	05	–	–
श्री बी सरवनन निदेशक, एएमडी	अंशकालिक पदेन	06	04	–	–
कर्नल प्रवत के पांडा, सेना वीरता मेडल (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	06	06	हाँ	–

यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 31.08.2019 को पूरा हो गया है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा को 26 मार्च 2022 को प्राप्त डीएई के पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 के माध्यम से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

यूसीआईएल में 01.09.2019 से स्वतंत्र निदेशक का एक पद अभी भी रिक्त है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है क्योंकि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है। जहां तक अंशकालिक निदेशकों का संबंध है, सरकारी अधिकारी अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी उनके द्वारा भाग ली जाने वाली बैठकों के लिए बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रत्येक बोर्ड बैठक या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों / 15,000 रुपये और अधिकतम 2 दिनों के लिए आकस्मिक व्यय प्रतिपूर्ति / 1,000 रुपये प्रति दिन का भुगतान किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा समितिः

आपकी कंपनी के बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक कर्नल प्रवत कुमार पांडा, सेना पदक वीरता (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है।

लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें 20.05.2023, 29.07.2023, 13.09.2023, और 12.01.2024 को आयोजित की गईं।

31.03.2024 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	कर्नल श्री प्रवत कुमार पांडा	:	सभापति
2.	श्री बी सरवन, निदेशक ए एम डी	:	सदस्य
3.	श्रीमती अंजलि सिन्हा, सयुक्त सचिव (आई एंड एम) डीएई	:	सदस्य
4.	डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	:	सदस्य
5.	राजेश कुमार, निदेशक तकनीकी, यूसीआईएल	:	सदस्य

कंपनी सचिव, यूसीआईएल ने उपर्युक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड के निर्देशानुसार आपकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक कर्नल प्रवत कुमार पांडा, सेना पदक वीरता (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :

1.	कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अंजलि सिन्हा, सयुक्त सचिव (आई एंड एम) डीएई	–	: सदस्य
3.	डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	–	सदस्य
4.	राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल	–	सदस्य
5.	श्री एस बी मोहंती, निदेशक (वित्त), यूसीआईएल	–	सदस्य

कंपनी सचिव, यूसीआईएल ने उपर्युक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

आचार संहिता :

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता लागू की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

सत्यनिष्ठा संधि के साथ–साथ धोखाधड़ी रोकथाम नीति /व्हिसल ब्लोअर नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा कंपनी की वेबसाइट में दिया गया जाती हैं।

आम सभा की बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकें/असाधारण आम बैठकें नीचे दी गई हैं।

वर्ष	दिनांक	समय	जगह
2022-23	27.09.2023	12.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस
2020-21	14.09.2022	12.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस
2019-20 (AGM)	2809.2021	15.15 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस

फार्म स0 एम जी टी – 9

वार्षिक विवरण का सारांश
दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

I	सीआइएन	(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
II	पंजीकरण की तिथि	04 / 10 / 1967
III	कंपनी का नाम	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
IV	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
V	"पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण"	पीओ : जादूगोड़ा खान जिला : सिंहभूम पूर्वी झारखंड : 832 102 दूरभाष : 0657-2730122 / / 222 / 353 फैक्स : 0657-2730322 ई-मेल : cs@uraniumcorp.in विजिट करें : www.uraniumcorp.in
VI	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
VII	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाना है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल % व्यवसाय
1	U_3O_8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं प्रसंस्करण	लागू नहीं	100

शेयरधारिता विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर	15709630
एनपीसीआईएल, डीएई द्वारा धारित शेयर	5236545
सरकारी नामितियों द्वारा धारित शेयर	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य रु. 1000 / – प्रत्येक)	20946178

ऋणग्रस्तता

	रुपए लाख मे	
	31.03.2024	31.03.2023
कुल रु.	शून्य	शून्य

धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा को 26 मार्च 2022 को प्राप्त डीएई पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

धारा 134 (1) के अंतर्गत बोर्ड और निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है, जिसके निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक आदि का निर्णय डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं आदि का निर्धारण करने के मानदंड सहित बोर्ड और निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ–साथ निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी नीति का ब्यौरा नहीं दी गई है क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के प्रति प्रकटीकरण निम्नानुसार हैरू

i) डॉ. एस.के. सतपति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.03.2024 से प्रभावी)

ii) डॉ. सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.02.2024 तक)

iii) श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी)

iv) श्री एस.बी.मोहंती, निदेशक (वित्त) 01.12.2023 से प्रभावी

v) श्री बी सी गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध पर एक समिति का गठन कार्यस्थल पर कामगारों के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए खुलासा की जाने वाली जानकारी शून्य है। इसलिए, फॉर्म एओसी–2 को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एच) के साथ कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के तहत आवश्यक है। सेवाओं की प्राप्ति के लिए संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का उल्लेख वार्षिक खातों के नोट 32 के तहत किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल मानता है कि जोखिम किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में निहित है और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना कंपनी की तत्काल और भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिमों की देखरेख, भौतिक व्यावसायिक जोखिमों के प्रबंधन और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है।

सीएसआर अनुलग्नक, निदेशक रिपोर्ट 2023–24

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा.

यूसीआईएल में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नैतिक रूप से कार्य करने और समुदाय और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए व्यापार के माध्यम से समाज और ग्रह के सामंजस्यपूर्ण और सतत विकास में योगदान करने के लिए एक निरंतर प्रतिबद्धता है।

इसलिए, सीएसआर अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से काम करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता है।

2. सीएसआर समिति की संरचना : (31.03.2024 तक)

क्रम सं	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रेति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	कर्नल पी.के. पांडा	निदेशक	4	4
2.	श्री राजेश कुमार	निदेशक	4	4
3.	श्रीमति अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	निदेशक	-	-
4.	डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी एनएफसी	निदेशक	4	4
5.	श्री एस. बी. मोहन्ती (वित्तीय)	निदेशक	4	4

3. कंपनी की वेबसाइट पर एक वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया जाता है।

https://www-uraniumcorp-in/

4. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में स्थापित करने के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (लाख रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (लाख रुपये में)
1.	2022-23	218.93 लाख (2021-22)	86.11 लाख
2.	2023-24	132.82 लाख (2021-22)	88.63 लाख
3.	2024-25	44.19 लाख (2021-22)	86.11 लाख
	कुल	**218.93 लाख**	**86.11 लाख**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: 49228.56 लाख रुपये

7. (a) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः 998.57 लाख रुपये

(b) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषरू शून्य

(c) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोईरू शून्य

(d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b&7c) : 998.57 लाख रुपये

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरितराशि		
रु. 1294.08 लाख	राशि शून्य	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम शून्य	राशि	स्थानांतरण की तिथि

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हा/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)।	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) (रुपये में) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि।	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.											
2.											
3.											
	कुल										

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)।	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	स्वास्थ्य देखभाल	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		512	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	शिक्षा और कौशल	शिक्षा	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		169	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		65	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	सशस्त्र बल के पूर्व सैनिक, युद्ध, विधवाएंध्आश्रित	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		17	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आकृति केंद्र	विकास परियोजनाओं	हाँ	अरुणाचल डीएई		1	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
6	पेयजल और स्वच्छता	सुरक्षित पेयजल	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		10	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
7	खेल और संस्कृति	खेल	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		109	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
8	विकास परियोजनाओं	विकास परियोजनाओं	हाँ	झारखंड, सिंहभूम पूर्व		27	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल					910			

(सी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि – शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो – लागू नहीं

(एफ) वत्तीय वर्ष (8बी8सी8डी8ई) के लिए कुल व्यय राशिरू 909.93 लाख रुपये

(जी) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो ।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	998.57 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	909.93 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि [(ii) &(i),	(88.63) लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो (वित्त वर्ष 2021–22)	132.82 लाख
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) &(iv), {01.04.2023 तक 31.03.2025 तक सेट ऑफ के लिए}	44.19 लाख

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि, (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हा, (रुपये में)			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि(रुपये में)	स्थानांतरण तिथि	

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
1								
2								
3								
	कुल							

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें. लागू नहीं

(संपत्ति-वार विवरण)

(ए) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथिः शून्य

(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशिः शून्य

(सी) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिः शून्य

(डी) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करेंः शून्य

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : लागू नहीं

अनुलग्नक-I

प्रमुख आंकड़े

(₹. लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23	2023-24 की तुलना में वृद्धि/(कमी)	2022-23 की तुलना में वृद्धि (कमी) % के रूप में
क. परिचालन परिणाम				
कारोबार	231708.26	219211.2	12,497.06	6%
सकल आय	247264.44	227957.95	19,306.49	8%
सकल व्यय	215051.26	218240.65	-3,189.39	-1%
सकल लाभ	32213.18	9717.3	22,495.88	232%
कर के बाद शुद्ध लाभ	23863.37	6570.3	17,293.07	263%
ख. वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति				
शेयर पूंजी	209461.78	209461.78	-	0%
अन्य इक्विटी	180543.96	160811.07	19,732.89	12%
नियोजित पूंजी	415742.85	396924.17	18,818.68	5%
कुल मूल्य (नेटवर्थ)	390005.74	370272.85	19,732.89	5%
सकल ब्लॉक	337702.39	321664.59	16,037.80	5%
मूल्यह्रास	177571.58	151102.78	26,468.80	18%
शुद्ध लाभ	160130.81	170561.8	-10,431.0	-6%
माल सूची (इंवेन्टरी)	23259.12	20488.9	2,770.22	14%
ग. लाभ प्रदत्ता एवं अन्य अनुपात				
(i) प्रतिशत :				
बिक्री में सकल लाभ/हानि	14%	4%		
बिक्री में शुद्ध लाभ/हानि	10%	3%		
कुल मूल्य में सकल लाभ/हानि	8%	3%		
कुल मूल्य में शुद्ध लाभ/हानि	6%	2%		
नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ/हानि	8%	2%		
नियोजित पूंजी में सकल लाभ/हानि	6%	2%		
इक्विटी पूंजी में सकल लाभ/हानि	15%	5%		
बिक्री के लिए माल सूची	10%	9%		
नियोजित पूंजी की बिक्री	56%	55%		
(ii) अनुपात :				
वर्तमान परिसंपत्तियां एवं वर्तमान देयताएं	4.14:1	2.65:1		
वर्तमान देनदारियों के लिए त्वरित संपति	3.79:1	2.28:1		

अनुनग्नक – II

कंपनी का वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2023 और 2024 को तुलन–पत्र सारांश

(₹. लाख में)

क्रम. स.	विवरण	2023-24	2022-23	2022–2023 की तुलना में वृद्धि/कमी
1	**कंपनी का स्वामित्य**			
(क)	**अचल संपति**			
	सकल ब्लॉक	3,37,702.39	3,21,664.59	16,037.80
	घटायाः संचित मूल्यह्रास	1,77,571.58	1,51,102.78	26,468.80
	नेट ब्लॉक	1,60,130.81	1,70,561.80	-10,430.99
	अपूर्त परिसम्पतियाँ	518.83	604.04	-85.21
	अन्य दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय वं गैर वित्तीय) गैर	23,061.14	1,12,271.51	-89,210.37
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/स्टॉक	24,357.18	22,619.82	1,737.36
	उप–योग(क)	**2,08,067.96**	**3,06,057.17**	**-97,989.21**
(ख)	**चालू परिसम्पति**			
	(i) सम्पति सूची	23,259.12	20,488.90	2,770.22
	(ii) प्राप्ति योग्य व्यापार	28,271.41	21,897.74	6,373.67
	(iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय सम्पतियाँ	8,281.41	7,541.61	739.80
	(iv) नकद और बैंक अधिशोष	1,96,005.90	78,852.96	1,17,152.94
	(v) अन्य चालू सम्पतियाँ	18,009.94	17,271.96	737.98
	उप–योग(ख)	**146053.16**	**195163.23**	**-49110.07**
	कुल {1(क)+(ख)}	**4,81,895.74**	**4,52,110.34**	**29,785.40**
2	**कंपनी का स्वामित्य**			
(क)	**गौर वित्तीय देनदारियाँ, सेवाओं, चालू देनदारियाँ तथा अन्य प्रावधानों के लिए**			
	(क)	88,382.10	75,749.02	12,633.08
(ख)	**कंपनी शुद्ध मालियत**			
	इक्विटी शेयर पूंजी	2,09,461.78	2,09,461.78	-
	अन्य इक्विटी	1,80,543.96	1,60,811.07	19,732.89
	उप–योग(ख)	**3,90,005.74**	**3,70,272.85**	**19,732.89**
(ग)	आस्थागित कर दायित्व (ग)	3,507.90	6,088.47	-2,580.57
	कुल {1(क)+(ख)+(ग)	**4,81,895.74**	**4,52,110.34**	**29,785.40**

अनुनग्नक – III

कंपनी का आय और व्यय का विवरण

31 मार्च 2023 और 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ ओर हानि लेखा का सारार्श

(₹. लाख में)

क्रम. स.	विवरण	2023-24	2022-23	2023–2024 की तुलना में वृद्धि/कमी
1	**कंपनी का स्वामित्य**			
	कंपनी की आय			
	क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अधिकरण से	2,31,182.96	2,18,644.64	12,538.32
	ख) गौण उत्पादों की बिक्री से (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	525.39	566.56	-41.17
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	15,556.18	8,746.75	6,809.43
	उप–योग	**2,47,264.53**	**2,27,957.95**	**19,306.58**
	घ) अंतिम स्आँक में बृद्वि/कमी	-3,590.36	2,298.21	-5,888.57
	कुल (1)	**2,43,674.17**	**2,30,256.16**	**13,418.01**
2	**कंपनी द्वारा भुगतान और व्यवस्था**			
	क) खपत की गई सामग्री की लागत	22,524.38	25,841.52	-3,317.14
	ख) कर्मचारी लाभ व्यय	63,967.56	60,408.46	3,559.10
	ग) वित्तीय लागत (व्याज व्यय)	99.77	754.93	-655.16
	घ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26,552.41	26,425.07	127.34
	ड़) अन्य व्यय	1,05,497.49	1,02,512.46	2,985.03
	कुल (2)	**2,18,641.61**	**2,15,942.44**	**2,699.17**
3	**कंपनी का सकल लाभ समायोजन से पहले**	8,349.81	3,147.00	5,202.81
	घटाया : आयकर के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	3147	20075.63	-16928.63
4	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ**	**23,863.37**	**6,570.30**	**17,293.07**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-4,130.48	-843.49	-3,286.99
5	**वर्ष के लिए व्यापक आय**	**19,732.89**	**5,726.81**	**14,006.08**

आय का वर्गीकरण

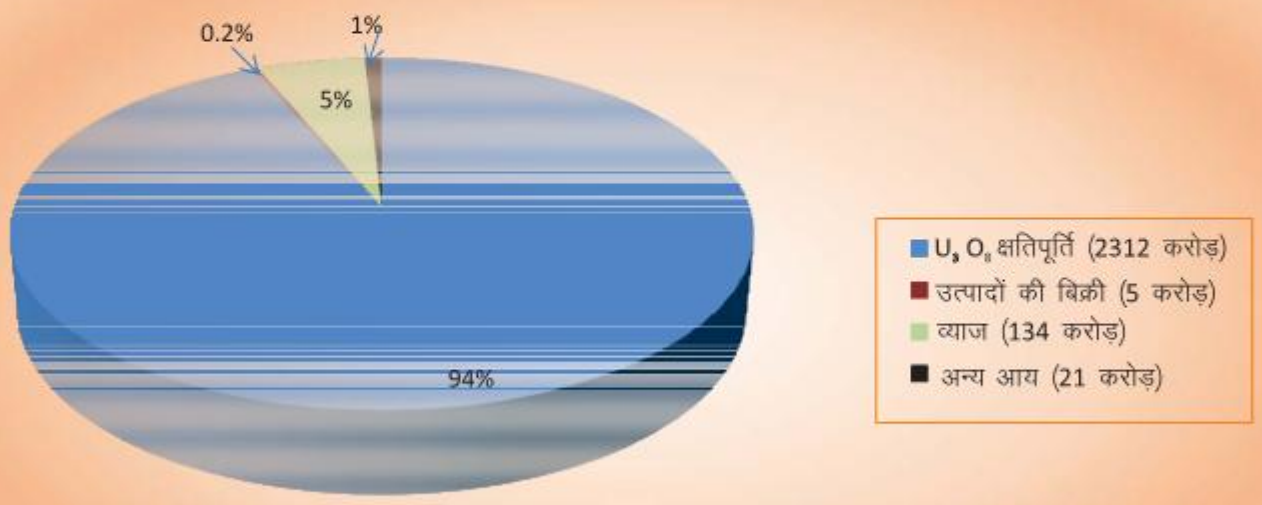

व्यय/परिचय का वितरण

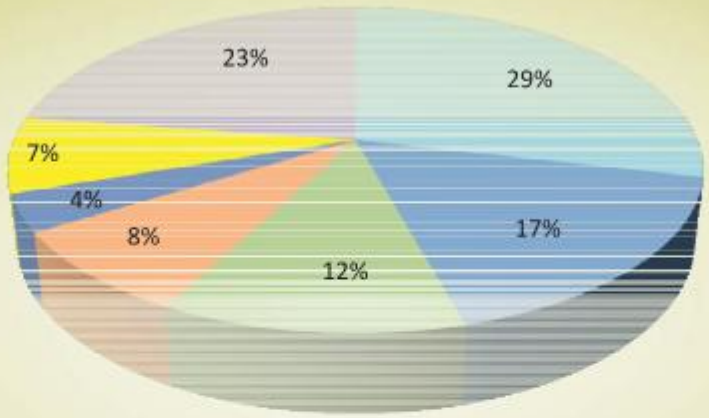

आय में बृद्धि

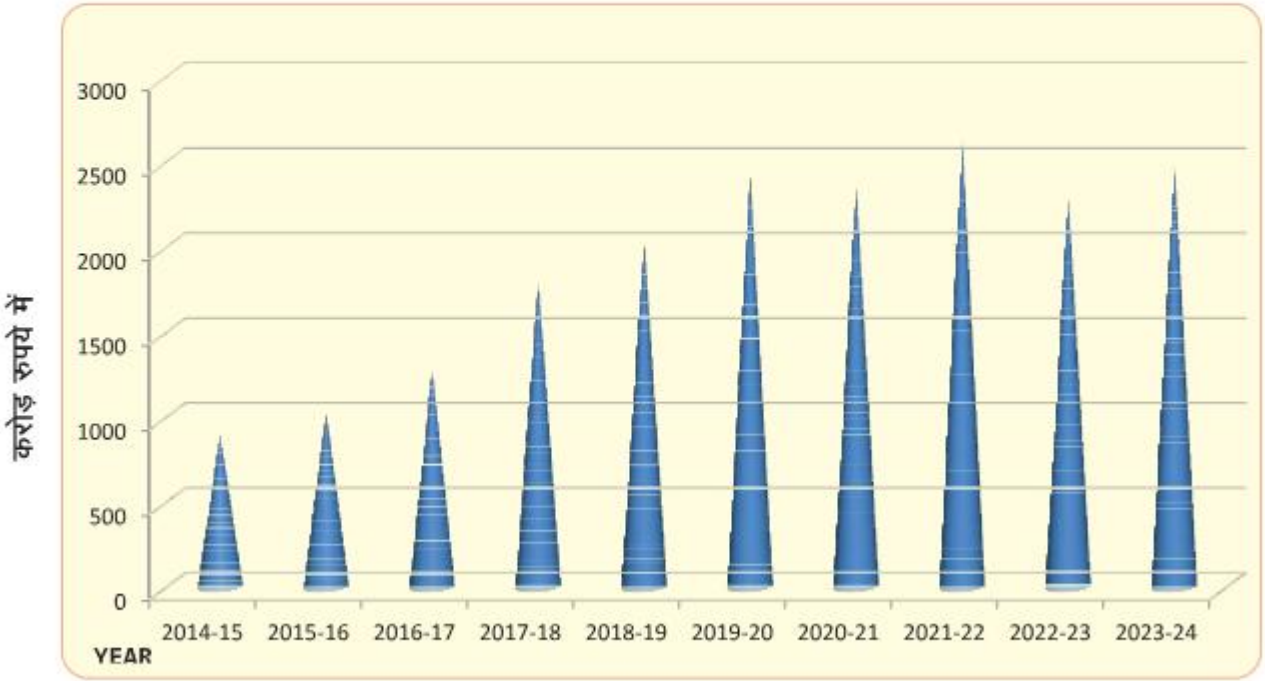

निवल संपत्ति में बृद्धि

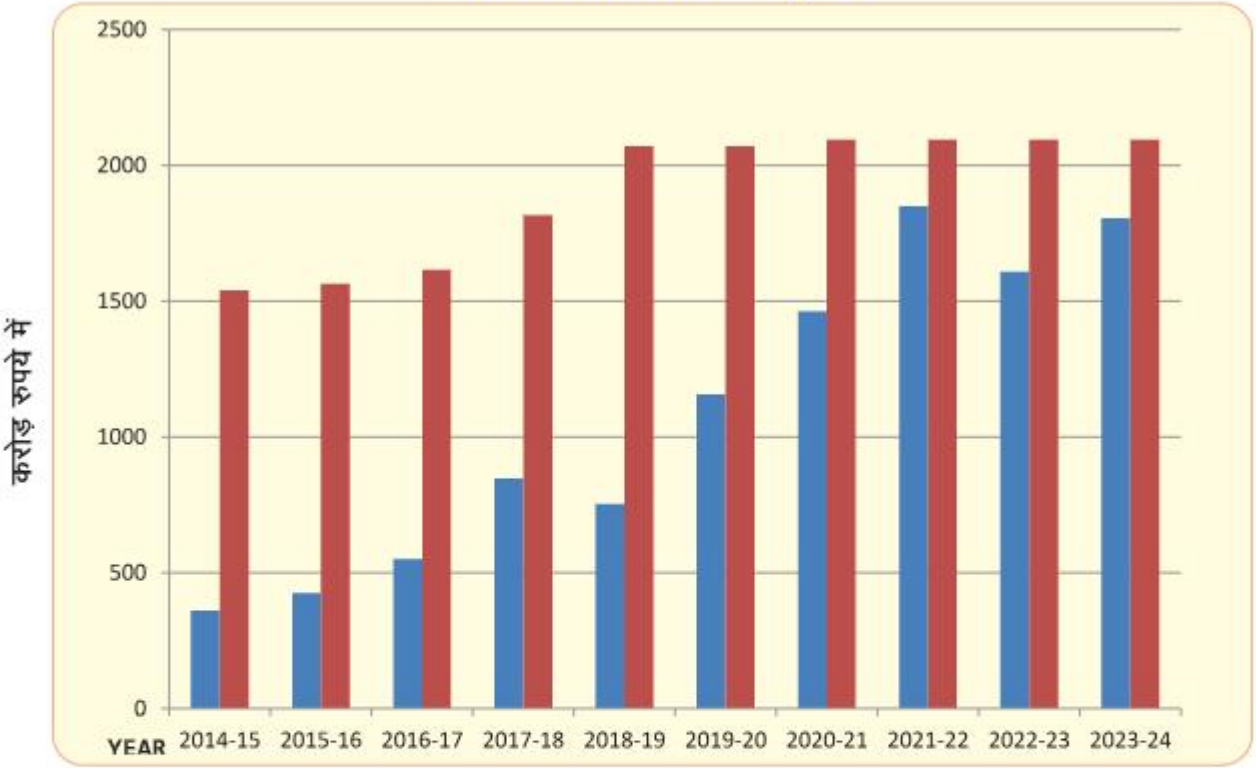

Reserve & Surplus	361	426	550	848	753	1157	1463	1850	1608	1805
Equity	1540	1565	1616	1816	2070	2070	2095	2095	2095	2095

सकल एवं शुद्ध परिसंपति

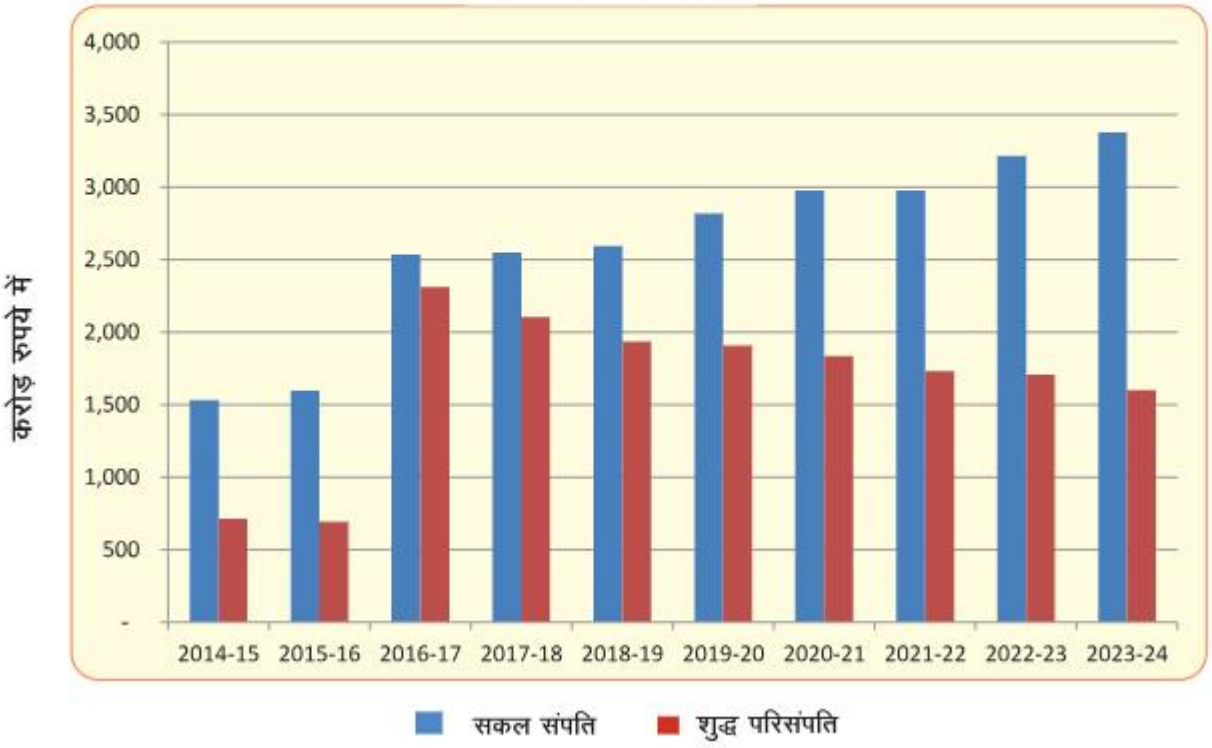

नियोजित पूँजी

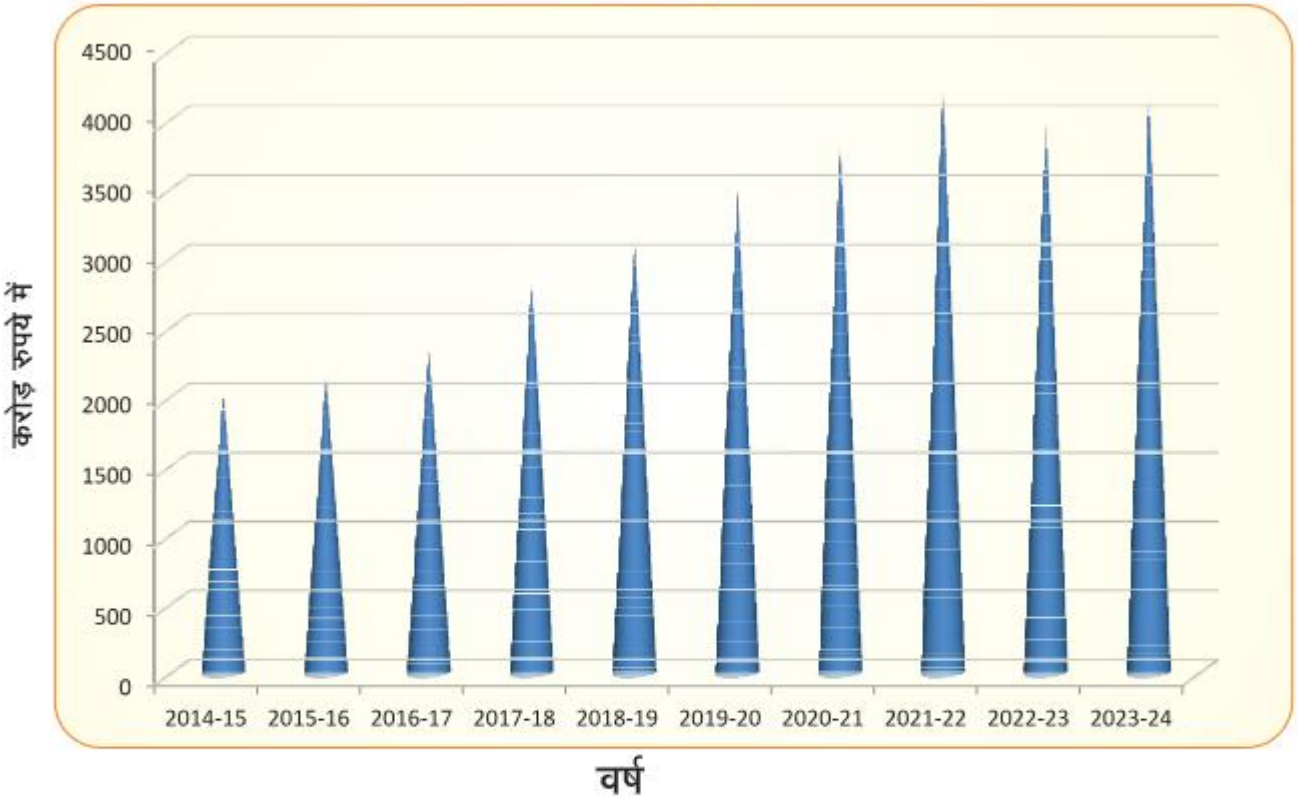

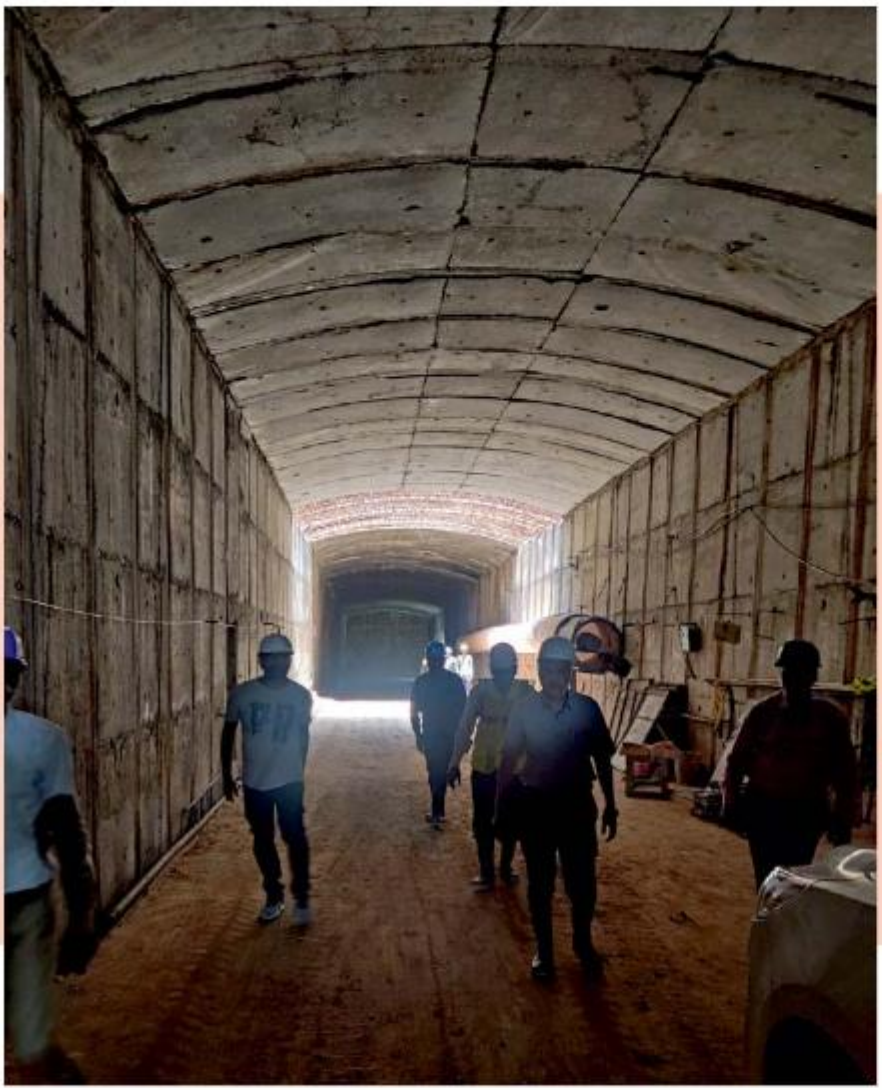

राजकीय उप जिला चिकित्सालय, खण्डेला

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रोहिल प्रोजेक्ट)

द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत चिकित्सालय में आमजन हेतु सुविधाओं मे विस्तार करने हेतु ऑपरेशन थियेटर के लिए आवश्यक उपकरण दिनांक 09.04.2024 को समर्पित किये गये ।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

हमने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद ष्कंपनीष के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण के लिए नोट्स और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और कंपनी की अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, जैसा कि संशोधित है, ("आईएनएस एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

ए) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की स्थिति की बैलेंस शीटय

बी) लाभ और हानि के विवरण के मामले में, समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरण सहित इसका लाभ

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग ("एसएएस") के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों के ऑडिट का आयोजन किया। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकता के साथ–साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी और उसके तहत बनाए गए नियम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले :

मुख्य ऑडिट मैटर (केएएम) वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1) हम महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु संख्या –2.8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं – मूल्यह्रास, वित्तीय विवरणों के नोट नंबर –3 और नोट नंबर –26 के साथ पढ़ा जाता है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची –2 में निर्धारित उपयोगी जीवन के बजाय तकनीकी अनुमान के आधार पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया है।

2) हम महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु संख्या –2.8 पर ध्यान आकर्षित करते हैं – मूल्यह्रास, वित्तीय विवरणों के नोट नंबर –3 और नोट नंबर –26 के साथ पढ़ा जाता है, कंपनी ने कुछ अचल संपत्तियों का निर्धारित बचाव मूल्य प्रदान किया है।

3) हम नोट संख्या–21 – विवरणों के संचालन से राजस्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने पिछले वर्षों से संबंधित यूरेनियम की बिक्री के लिए डीएई द्वारा मुआवजे की दर में कमी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के संचालन से अपने राजस्व को 39,204.60 लाख रुपये तक प्रदान किया है / समायोजित किया है।

4) बकाया पार्टी संतुलन पार्टियों से सुलह और पुष्टि के अधीन हैं। विशेष रूप से मेकॉन लिमिटेड के साथ लेन–देन का वर्षों से मिलान नहीं किया गया है और मेकॉन लिमिटेड से कोई शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

5) हम केपीएम परियोजना के लिए नोट संख्या 35.11 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उक्त परियोजना को बंद कर दिया है और खातों की किताबों में रु.1004.76 लाख रुपये का प्रावधान किया है, हालांकि वही केपीएम परियोजना नोट संख्या 4 के तहत दिखाई दे रही है – पूंजीगत कार्य प्रगति पर – पूर्व–परियोजना व्यय और खातों की पुस्तक में रु.1004.76 लाख रुपये की काल्पनिक देनदारी भी दर्ज की गई है।

6) हम नोट संख्या 35.9 मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और अंबिका एंटरप्राइजेज को काम पूरा करने के लिए अनुबंध दिया गया था, जो 31.12.2014 तक अंतिम रूप से विस्तारित समय सीमा के अनुसार पूरा करने में विफल रहे। कंपनी ने बैंक गारंटी के रूप में 247.61 लाख रुपये का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) लिया है जो 14.01.2015 को समाप्त हो गया है। उक्त परियोजना के लिए प्रगति पर चल रहा पूंजीगत कार्य एक विशेषज्ञ से उचित मूल्य पर मूल्यांकन करने और तदनुसार निपटने के लिए लंबित है। कंपनी ने मुकदमा प्रक्रिया शुरू कर दी है और मैसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज से 103.47 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मध्यस्थ नियुक्त किए हैं। हालांकि, विक्रेताओं ने वाणिज्यिक अदालत से संपर्क किया और वाणिज्यिक अदालत ने मैसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइज और मैसर्स अंबिका एंटरप्राइज के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी ने वाणिज्यिक अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय, रांची में अपील की। इसके बाद, प्रबंधन आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया में है।

7) हम मोहुलडीह खानों के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य से संबंधित लेखाओं की टिप्पणियों के नोट संख्या 35.10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि मोहलडीह खदान में 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और इसके उपकरण का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल लागत 18.63 करोड़ रुपए पर दिया गया। चूंकि, ठेकेदार ने काम पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए 102.42 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मध्यस्थता के लिए चली गई है।

8) हम नोट संख्या–4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं – वित्तीय विवरण की प्रगति में पूंजी कार्य, स्टॉक लंबित स्थापनाध्उपयोग में पूंजीगत परिसंपत्ति की राशि 930.55 लाख रुपये है। तथापि, प्रबंधन ने पूंजीगत परिसंपत्तियों की संस्थापना के लिए कार्रवाई की है।

9) कंपनी ने अपने प्लांट और मशीनरी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है।

10) हम वित्तीय विवरण के नोट संख्या 31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी के प्रबंधन ने कुछ मामलों में आकस्मिक देनदारियों की मात्रा निर्धारित की है और उनका खुलासा किया है। हालाँकि अन्य मामलों में आकस्मिक देनदारी को मापना संभव नहीं था और इसलिए वित्तीय विवरण में इसका खुलासा नहीं किया गया था।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी हमारे पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या ज्ञान के साथ असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के आरोपितों से संप्रेषित करने और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई लागू करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी की अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, संशोधित और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होंय और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि लागू होता है, प्रकटीकरण के रूप में लागू होने वाले मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जब तक कि निदेशक मंडल या तो परिचालन बंद करने के लिए कंपनी को परिसमाप्ति करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी के निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ै) के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा, जब यह मौजूद रहे । गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम सह भी करते हैं

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओश्को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करन के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाजी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर, गलत बयानी, या आतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आश्तरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय विवरण के संदर्भ में और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है ।

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित

- खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालन, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से सम्बंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्तवपूर्ण सदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, सरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अतर्निहित लेनदेन और घटनाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्तवपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ–साथ आतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्तवपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओ के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय से संबंधित जहां लागू हो ।

शासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओ पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।

2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 संशोधित ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम 'अनुलग्नक ए' में देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक होता है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने उन सभी सूचनाओ और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   ग) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

   घ) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण अन्य व्यापक आय सहित और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

   ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) के नियमों, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ा जाता है।

   च) कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक एए' रिपोर्ट देखें ।

   ज) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

   i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें ।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

iv) (ए) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, इसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं म("ध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) इस समझ के साथ कि क्या लिखित या अन्यथा दर्ज किया गया है, मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (ष्अंतिम लाभार्थीष) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) निष्पादित की गई ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त माना गया है, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उपखंड (प) और (पप) के अधीन अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, में कोई सामग्री गलत विवरण है।

v) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीडीआर 463 (ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 3(1) के परंतुक के अनुसार, जिसमें 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से केवल कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखा सॉफ्टवेयर में लेखा खातों के विवरण, लॉग और संबंधित मामले को संपादित करने की सुविधा प्रदान की गई है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा) नियमों 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के खंड (जी) के तहत रिपोर्टिंग, वर्तमान में लागू नहीं है।

मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध – I

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

निर्देश	उत्तर
क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो इंडियात्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ खातों की अखडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी के पास ओएलएफएएस लेखा पैकेज है और सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, व्स्थ्ै लेखा पैकेज पुराना है और कंपनी के वर्तमान कार्य वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। कंपनी नई ईआरपी प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है, लेकिन नई ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन में अधिक समय लग रहा है। आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन विधिवत रूप से लेखांकन पैकेज में दर्ज किए जाते हैं और फिर सिस्टम से वाउचर उत्पन्न होते हैं और सहायक भौतिक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाते हैं। लेखा परीक्षा नमूना जांच पर आधारित थी और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया जिसमें आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ लेखा की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ा हो।
कृपया रिपोर्ट करें कि क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो रहा है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/लिखावट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया ऋण नहीं है और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए ऋण की पुनर्रचना या ऋणदाता द्वारा ऋण या छूटध्ऋणध्ब्याज आदि की छूट/राइट–ऑफ कंपनी पर लागू नहीं होता है।
क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए।	प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से लेखा/ उपयोग किया गया था और शेष राशि का उपयोग तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भविष्य में नियम और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध "II" वित्तीय वर्ष 31.03.2024 को समाप्त हुआ

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

(i) (ए)(ए) कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।?

(बी) कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(बी) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी की हर तीन साल में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन की नीति है। हालाँकि, विभिन्न स्थानों/साइटों पर कंपनी के संपत्ति संयंत्र भौतिक रूप से सत्यापन निम्नलिखित हैं।

क्रम. संख्या	विशिष्ट	वर्ष के दौरान कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया
1.	जादुगोड़ा स्थल–झारखण्ड	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, उनकी दिनांक 20.06.2024 की रिपोर्ट के अनुसार। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा यह पाया गया कि अचल संपत्तियों की कोडिंग नहीं की गई थी और अचल संपत्ति रजिस्टर में पूरी जानकारी और विशिष्ट स्थान का अभाव था।
2.	तुमलापल्ले स्थल–आंध्र प्रदेश	आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.07.2023 की अपनी रिपोर्ट के अनुसार 03.03.2023 से 09.03.2023 और 21.06.2023 से 27.06.2023 की अवधि के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा यह देखा गया कि अचल संपत्तियों की कोडिंग नहीं की गई थी और अचल संपत्ति रजिस्टर में पूर्ण जानकारी और विशिष्ट स्थान का अभाव था।

(सी) जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, मुसाबनी में 3 एकड़ भूमि को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं। हालाँकि, निगमन के बाद से कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि दस्तावेजों को देखते हुए भूमि के स्वामित्व विलेखों का भौतिक सत्यापन कठिन हो गया है।

अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

बैलेंस शीट मे प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	के नाम मालिकाना हक	क्या मालिकाना हकदार एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई	निःशुल्क भूमि/पट्टे की भूमि	15.85	राज्य सरकार/निजी पार्टियां	NO	1986	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(म) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2023 तक ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई या कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 के 45) और नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए लंबित नहीं है।

(ii) (a) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा कच्चे माल, डब्ल्यूआईपी और तैयार माल का भौतिक सत्यापन किया गया है और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा उचित अंतराल पर स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, स्टोर्स और स्पेयर्स के भौतिक सत्यापन की आवृत्ति, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं। वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां सामग्री नहीं थीं।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की ऐसी कार्यशील पूंजी सीमा मंजूरी नहीं दी गई है।

(iii) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी ने न कोई भी निवेश नहीं किया है, किसी को भी गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या रजिस्टर में शामिल अन्य पार्टियों को अधिनियम की धारा 189 के तहत प्रदान किया है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3 (पपप) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(iv) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई ऋण दिया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है। तदनुसार, उक्त आदेश की धारा 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(अ) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और नियमों के तहत तय किए गए हैं। तदनुसार, उक्त आदेश की धारा 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने आम तौर पर इसकी समीक्षा की है और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए हैं। हमने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए हमें उपलब्ध कराई गई सबसे हालिया लागत ऑडिट रिपोर्ट की भी समीक्षा की है और लागत रिकॉर्ड के रखरखाव पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं देखी है।

(vii) (क) कंपनी उचित प्राधिकरणों के साथ आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 से 2022–23 से संबंधित 23.04 लाख रुपये आयकर (टीडीएस)ध्ब्याज मांग को छोड़कर, उपरोक्त बकाया राशि 31 मार्च, 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उप–खंड (ए) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया है, जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि लाख में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम, 1961	128.22	वित्तीय वर्ष 2017-18	सीआईटी (ए)
		204.70	वित्तीय वर्ष 2018-19	सीपीसी
		1681.26	वित्तीय वर्ष 2019-20	सीपीसी (ए)

(viii) (जैसा कि हमें सूचित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत आयकर निर्धारण में लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खाते की पुस्तकों में किसी भी लेनदेन की रिकॉर्डिंग नहीं करने से संबंधित कोई भी मामला नहीं था।

(ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने ऋण या किसी अन्य उधार की अदायगी या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(c) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(d) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर धन नहीं जुटाया है।

(e) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, या संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(f) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम, या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।

(x) (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (a) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 12 के तहत ऐसी कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी –4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दर्ज नहीं की गई है।

(c) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को वर्ष के दौरान ऐसी कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए खंड 3(xii) (a),(b और (c)के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ दर्ज किए गए सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के तहत जहां लागू हो अनुपालन में हैं और विवरणों का खुलासा वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (a) कंपनी के पास उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालाँकि, OLFAS–अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेखांकन डेटा और लेनदेन के प्रसंस्करण की पुरानी प्रणाली, आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धताधविलंब और प्रबंधन से स्पष्टीकरण के कारण, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट उचित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है। इसलिए, आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई में भी देरी होती है।

(b) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–ए। के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, उक्त आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) और (d) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, प्रासंगिक अनुपातों के विश्लेषण, डेटा और जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी सक्षम है तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए, जब वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों।

(xx) (a) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी की सीएसआर देयता निर्धारित की गई है और वर्ष के दौरान खर्च की गई कोई भी अव्ययित राशि बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार मौजूद नहीं है।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में ऐसी कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं है।

(xxi) उक्त आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

CA राज कुमार अग्रवाल
सहभागी
Membership No. 073063
UDIN:

स्थान: जादूगोड़ा
तारीख: 16.07.2024

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2024 तक यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को प्राप्त करना और समझना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैंय (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और यह कि कंपनी की

प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैंय और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों का उल्लंघन, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

कृते के ए एस जी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

Firm Registration No- 002228C

CA राज कुमार अग्रवाल
सहभागी
Membership No- 073063
UDIN:

स्थान : जादूगोड़ा
तारीखरू 16.07.2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, ए.जी.सी.आर. भवन,
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002
Office of the Director General of Audit, Central Expenditure
Environment & Scientific Departments
AGCR Building, IP Estate, New Delhi-110002

DGACE(ESD)/EA/PR – 126134/AA/UCIL/2024-25 /171

Date: 05 SEP 2024

सेवा में,

The Chairman & Managing Director,
Uranium Corporation of India Ltd.,
Jaduguda Mines, Singhbhum (East),
Jharkhand - 832 102

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(ब) के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत **Uranium Corporation of India Limited** के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

संलग्नः यथोपरि

महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

दूरभाष/Phone : 011-23403650
फैक्स/Fax : 011-23702353
E-mail ID : pdaesd@cag.gov.in

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के अतंर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनसरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अतंर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक धारा के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम की धारा 143(10)। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05/09/24

(Gurveen Sidhu)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

31 मार्च, 2024 तक तुलन–पत्र

(₹. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
संपत्ति			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	1,60,130.81	1,70,561.80
प्रगतिधीन कार्य पूजी	4	24,357.18	22,619.82
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	518.83	604.04
वित्तीय परिसंपत्तियां			
– ऋण	6	605.35	624.80
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	21,903.40	1,11,551.86
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	7	552.39	94.85
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तिया		**2,08,067.95**	**3,06,057.17**
वर्तमान संपत्ति			
मालसूची (इन्वेंटरी)	8	23,259.12	20,488.90
वित्तीय परिसंपत्तियां	9	28,271.41	21,897.74
– व्यापार प्राप्य	10	782.89	5,011.50
– नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष राशि	11	1,95,223.01	73,841.46
– ऋण	6	4,138.45	4,122.52
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	4,142.96	3,419.09
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	18,009.94	17,271.96
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**2,73,827.78**	**1,46,053.16**
कुल परिसंपत्तियां		**4,81,895.73**	**4,52,110.33**
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी	14	2,09,461.78	2,09,461.78
अन्य इक्विटी	15	1,80,543.96	1,60,811.07
कुल इक्विटी		**3,90,005.74**	**3,70,272.85**
देयताए			
गैर–वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
– अन्य वित्तीय देनदारियां	16(b)	774.42	1,386.53
प्रावधान	17	21,454.80	19,176.32
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	19	3,507.90	6,088.47
कुल गैर–वर्तमान देनदारियां		**25,737.11**	**26,651.32**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
– व्यापार देय			
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	16(a)	1,355.05	2,808.50
– उपर्युक्त के अलावा	16(a)	12,044.66	12,608.54
– अन्य वित्तीय देनदारियां	169(b)	53.010.63	48,300.50
अन्य वर्तमान देनदारिया	20	2,879.97	3,750.24
प्रावधान	17	4,989.15	441.00
वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध))	18	(8,126.58)	(12,722.63)
कुल वर्तमान वर्तमान		**66,152.88**	**55,186.16**
कुल देनदारियां		**91,889.99**	**81,837.48**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**4,81,895.73**	**4,52,110.33**
खातों के लिए नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, खातों पर अतिरिक्त नोट और अतिरिक्त नियामक नीतियां	**1,2, 35, 36**		

खातों पर नोट्स, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, खातों पर अतिरिक्त नोट और अतिरिक्त नियामक जानकारी
संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के ए एस जी एडं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **002228C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 16.07.2024
यूडीआईएन : 24073063BKEFRB7540

CA राज कुमार अग्रवाल
साहभागी
M-No- 073063

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी 9596C

एस बी मोहन्ती
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 09714193

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10612460

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी

(₹. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आय			
परिचालन से राजस्व	21	2,31,708.26	2,19,211.20
अन्य आय	22	15,556.18	8,746.75
कुल आय		**2,47,264.44**	**2,27,957.95**
व्यय	23(a)	22,524.38	25,841.52
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23 (b)	(3,590.36)	2,298.21
कर्मचारी लाभ व्यय	24	63,967.56	60,408.46
वित्तीय लागत	25	99.77	754.93
ह्रास और परिशोधन व्यय	26	26,552.41	26,425.07
अन्य व्यय	27	1,05,497.49	1,02,512.46
कुल व्यय		**2,15,051.26**	**2,18,240.65**
कर से पहले लाभ/ (हानि)		32,213.18	9,717.30
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर	28	10,811.53	5,186.38
(2) आस्थगित कर	28	(2,461.72)	(2,039.38)
कुल कर व्यय		**8,349.81**	**3,147.00**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		23,863.37	6,570.30
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजनाओश्की पुनः माप		(4,249.34)	(1,507.56)
उपरोक्त वस्तुओश्से संबंधित आयकर		118.86	664.07
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		**(4,130.48)**	**(843.49)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		19,732.89	5,726.81
प्रति शेयर आय			
बेसिक और डाइल्यूट	29	113.93	31.37

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **002228C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 16.07.2024
यूडीआईएन : 24073063BKEFRB7540

CA राज कुमार अग्रवाल
सहभागी
M-No- 073063

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी 9596C

एस बी मोहन्ती
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 09714193

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10612460

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि (वित्त वर्ष 2023–24)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों क कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्तमान के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
2,09,461.78	-	-	-	2,09,461.78

पिछले रिपोर्टिंग अवधि (वित्त वर्ष 2022–23)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों क कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्तमान के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
2,09,461.78	-	-	-	2,09,461.78

ख. अन्य इक्विटी

(₹. लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन धन आबंटन लबिंत	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2022	-	14,336.03	1,70,672.23	1,85,008.26
वर्ष के लिए लाभ	-	-	6,570.30	6,570.30
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(843.49)	(843.49)
शेयर आवंटन से प्राप्त राशि	-	-	-	-
शेयर निर्गमन	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	(19,724.00)	(19,724.00)
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(10,200.00)	(10,200.00)
31 मार्च 2023	**-**	**14,336.03**	**1,46,475.04**	**1,60,811.07**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	23,863.37	23,863.37
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(4,130.48)	(4,130.48)
शेयर आवटंन से प्राप्त राशि	-	-	-	-
शेयर निर्गमन	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	0.00	0.00
अंतरिम लाभांश	-	-	0.00	0.00
31 मार्च 2024	**-**	**14,336.03**	**1,66,207.93**	**1,80,543.96**

सामान्य रिजर्व:
रिजर्व इक्विटी के एक घटक से विनियोग द्वारा बनाया गया था यानी अन्य व्यापक आय का एक आइटम नहीं होने के कारण कमाई को दूसरे में बरकरार रखा गया था।
संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **002228C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 16.07.2024
यूडीआईएन : 24073063BKEFRB7540

CA राज कुमार अग्रवाल
साझभागी
M-No- 073063

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी 9596C

एस बी मोहन्ती
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 09714193

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10612460

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों के लिए नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) (ष्कंपनीष) शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसे 4 अक्टूबर, 1967 को शामिल किया गया था और यह भारत में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे एक विशेष स्थिति है। दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए, यूसीआईएल देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक आईएसओ 9001रू2015 और 14001रू2015 कंपनी है और इसने अपनी खदानों और प्रक्रिया संयंत्रों के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया है।

2. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

2.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 (ष्अधिनियमष), परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य लागू वैधानिक अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर सुसंगत रूप से लागू किया जाता है।

2.2 माप का आधार

वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय अवधारणा, उपार्जन आधार और ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित मामलों केरू

क. मेडिकल स्टोर, खेल सामग्री और कैंटीन और गेस्ट हाउस के लिए प्रावधान नकद आधार पर दर्ज किए जाते हैं, यानी खरीद के समय व्यय के लिए चार्ज किए जाते हैं

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां और

ग. उचित मूल्य पर मापी गई खदान बंद करने की बाध्यताएं।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और निर्णयों का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और वे ऐतिहासिक अनुभव और विभिन्न अन्य मान्यताओं और कारकों (भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाओं सहित) पर आधारित होते हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों में उचित मानती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञातध्वास्तविक होते हैं।

उक्त अनुमान उन तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद थे, या जो उस तिथि के बाद घटित हुए, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करते हैं।

2.4 कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा रूपांतरण

क. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (□) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह परिचालन करती है, और अन्यथा बताए जाने को छोड़कर, दो दशमलव बिंदु तक श□ लाख मेंश पूर्णांकित की जाती है।

ख. लेन–देन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर–मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवादित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में उत्पन्न होने वाले अंतर को अचल संपत्तिया/पूंजी में स्थानांतरित किया जाता है।

2.5 चालू और गैर–चालू वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब वे कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र, यानी बारह महीनों के भीतर देय होती हैं। अन्य सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और आस्थगित कर देनदारियाँ हमेशा गैर–चालू परिसंपत्तियोंध्देनदारियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होता है जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए मुआवजे आदि।

नई खदान की स्थापना पर व्यय को नई खदान के निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से आय को कम करने के बाद पूंजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर बताए जाते हैं। लागत में परियोजनाओं के संबंध में पूर्व–संचालन व्यय, वह व्यय जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्व–निर्माण से संबंधित होता है और निर्माणध्स्थापना के लिए किए गए व्यय और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की अन्य जिम्मेदार लागतें शामिल होती हैं।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माणधविकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग–अलग होता है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग–अलग आइटम (घटक) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

श्मरम्मत और रखरखावश के रूप में वर्णित दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पहले से ही पूंजीकृत आइटम पर बाद का व्यय, तब पूंजीकृत होता है जब यह मौजूदा आइटम में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम के निपटान या सेवानिवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बीमा पुर्जे जो केवल संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के किसी आइटम के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और इसके उपयोग के अनियमित होने की उम्मीद है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। स्टैंड बाय उपकरण को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उन्हें माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए रखा जाता है और एक से अधिक अवधि के लिए उपयोग किए जाने की उम्मीद हैय अन्यथा ऐसी परिसंपत्तियों को इन्वेंट्री **के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।**

2.7 पट्टे

पट्टेदार के रूप में

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देनदारियों को पहचानती है और अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग–अधिकार संपत्तियाँ। पट्टा देनदारियों को आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतानों पर मापा जाता है।

कंपनी लीज की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि घटाई जाती है, और लीज देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज भुगतान में से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को घटाया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

2.8 मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी अनुमान के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिनके लिए तकनीकी अनुमानों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, वे नीचे उल्लिखित हैं:

उपयोगी जीवन –

सड़क, पुल और पुलिया : 30 वर्ष

शाफ्ट और ढलान : 21 वर्ष

विद्युत संस्थापन : 15 वर्ष

संयंत्र और मशीनरी (मिल) : 8.5 – 9.5 वर्ष

(ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर)

आवासीय भवन तुरामडीह रू 45 वर्ष

कॉन्सर्टिना वायर फेंसिंग रू 15 वर्ष

चेन लिंक फेंसिंग रू 10 वर्ष

कांटेदार तार फेंसिंग रू 5 वर्ष

ओपनकास्ट माइन डेवलपमेंट, ओवरबर्डन को हटाने और कमीशनिंग की तारीख तक माइनिंग बेंच तैयार करने पर किए गए खर्च को माइन के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है।

माइन डेवलपमेंट व्यय में खनिज भंडार तक पहुंच की स्थापना शामिल है। इसमें सड़कों, क्रॉस–कट, बहाव, नालियों, रैंप आदि के विकास जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

माइन डेवलपमेंट व्यय को तकनीकी अनुमान के अनुसार संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है।

तुरामडीह मिल विस्तार को तकनीकी अनुमान के अनुसार संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में पूरा किया गया टेलिंग डैम (स्लाइम डैम) का हिस्सा पूंजीकृत होता है और तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार ऐसे उत्थान के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

जोड़ या विस्तार, जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग बन जाता है, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

टेलिंग तालाबों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी भूमि, निजी भूमि और वन भूमि का मूल्यह्रास टेलिंग तालाबों के उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली पट्टे के तहत अधिग्रहित सरकारी भूमि का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है, यदि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

बीमा पुर्जों का मूल्यह्रास संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर उस दर पर किया जाता है, जो मौजूदा परिसंपत्तियों पर लागू होती है और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर बीमा पुर्जों के अधिग्रहण की तिथि तक मूल्यह्रास की राशि अधिग्रहण के वर्ष में काट ली जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास अधिग्रहणध्कमीशन के लिए महीने के पहले दिन और निपटान के लिए महीने के अंतिम दिन को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान जोड़ी गईध्निपटाई गई परिसंपत्तियों पर आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है।

2.9 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर रखा जाता है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त संपत्तियों पर बाद के व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह मौजूदा संपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भावी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत और जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है, उसे अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार हो।

भूमि के उपयोग के अधिकार जैसी पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि को भुगतान किए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि शुल्क घटाकर दर्ज किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों (एक सीमित जीवन के साथ) को उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विकास गतिविधियाँ वाणिज्यिक उत्पादन या उपयोग की शुरुआत से पहले नई या काफी हद तक बेहतर सामग्री, प्रक्रियाओं, प्रणालियों के उत्पादन के लिए एक योजना या डिजाइन के लिए आवेदन निष्कर्ष या अन्य ज्ञान है। लागत को सीधी रेखा के आधार पर पाँच वर्षों में परिशोधित किया जाएगा।

2.10 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

प्रगति पर पूंजीगत कार्य में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए व्यय और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो अभी तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

2.11 खदान बंद करना, साइट की बहाली और डीकमिशनिंग दायित्व

डीकमिशनिंग लागतों को अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित लागतों के वर्तमान मूल्य पर प्रदान किया जाता है और उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है। नकदी प्रवाह को वर्तमान कर–पूर्व दर पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। छूट की समाप्ति को वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू छूट दर में परिवर्तन, परिसंपत्ति की लागत में जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के अनुसार खदान बंद करने और पर्यावरण की बहाली के दायित्व को पूरा करने की देयता का तकनीकी रूप से मेसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा अनुमान लगाया जाता है।

2.12 सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अर्जित परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

2.13 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को पहचाना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि विवरण में हानि के रूप में पहचाना जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर पहले से पहचानी गई हानि को बढ़ाया या घटाया जाता है। हालाँकि, हानि को उस वहन राशि से अधिक राशि तक कम नहीं किया जाता है जो निर्धारित की गई होती (परिशोधन या मूल्यह्रास के बाद) यदि पिछले वर्ष में कोई हानि नहीं पहचानी गई होती। हानि के बाद, क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और बैंक बैलेंस, कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और सुरक्षा जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

निश्चित परिपक्वता के बिना सुरक्षा जमा उस मूल्य पर

किया जा रहा है जिस पर यह अनुबंध की समाप्ति पर प्राप्त होगा और यह वह राशि है जिसका वास्तव में भुगतान किया जा रहा है। जिस समय अवधि में राशि प्राप्त होगी वह अनिश्चित है क्योंकि राशि अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त होगी। छूट को छोड़ दिया गया है क्योंकि समय अवधि अनिश्चित है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता केवल तभी रद्द की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों, या

वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखा हो, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व ग्रहण किया हो।

इ. वित्तीय दायित्व

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो संभावित रूप से कंपनी के लिए प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयताएँ शामिल हैं। उन्हें उनके लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है।

वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। किसी वित्तीय दायित्व की वहन राशि जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें हस्तांतरित की गई कोई भी गैर–नकद परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियां शामिल हैं, को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों को एक साथ निपटाने का इरादा है।

2.15 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मापन

इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंटरी के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाता है।

ब. टोर और स्पेयर पार्ट्स

स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय उपकरण को इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनका उपयोग माल के उत्पादन या आपूर्ति में किया जाता है। ढीले औजारों को जारी करने के वर्ष में ही लिख दिया जाता है। कैपिटल स्टोर और बीमा स्पेयर को छोड़कर पांच साल तक स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोरध्स्पेयर के लिए नॉन–मूविंग का प्रावधान बनाया गया है। अप्रचलित घोषित सामग्रियों को आवश्यक निपटान के लिए अलग कर दिया जाता है और उनका बुक वैल्यू लिख दिया जाता है। निपटान पर प्राप्त मूल्य को आय में जमा किया जाता है।

इ. लागत सूत्र

1	अयस्क या कार्य–प्रक्रिया	अवशोषण लागत विधि पर
2	प्रत्यक्ष सामग्री, भंडार और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	माल – पारगमन में और निरीक्षण के तहत	अधिग्रहित लागत पर
4	उप–उत्पाद	रूपांतरण लागत पर
5	स्क्रैप	अनुमानित मूल्य पर

2.16 नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंक में नकदी, अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में मामूली जोखिम परिवर्तनों के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में चालू देनदारियों में उधार के भीतर दिखाया जाता है।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान और स्थगित कर का योग दर्शाता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हो।

. चालू आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

इ. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और बैलेंस शीट देयता पद्धति का उपयोग करके इसका लेखा–जोखा किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक घटा दी जाती है कि यह अब संभावित नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जिन्हें बैलेंस शीट तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

2.18 राजस्व मान्यता

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यह संभावना है कि भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई को मिलेगा, यानी जब यूरेनियम सांद्रण भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। उप–उत्पादों की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य (जीएसटी के बाद) रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के बाद मान्यता दी जाती है।

2.19 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है (अस्थायी रूप से निधि के उपयोग पर आय का शुद्ध) जब तक परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं। योग्य परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

2.20 कर्मचारी लाभ

. अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इ. छुट्टी नकदीकरण लाभ

अर्जित छुट्टी और बीमारी की छुट्टी के लिए देयताओं का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के अंत के 12 महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। लाभ सरकारी प्रतिभूतियों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद हो।

रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी निम्नलिखित रोजगार के बाद की योजनाएं संचालित करती है : –

परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, रोजगार के बाद चिकित्सा लाभ।

a) **ग्रेच्युटी दायित्व**

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाता है।

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, संबंधित दायित्वों की शर्तों के लगभग समान शर्तों वाले सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके शुद्ध ब्याज लागत की गणना की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल है।

एक्चुरियल मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है।

b). **रोजगार के बाद चिकित्सा लाभ**

इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके अर्जित की जाती है जिसका उपयोग परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

II. परिभाषित योगदान योजनाएँ जैसे कि भविष्य निधि, सुपरएनुएशन फंड।

भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भव के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है।

सुपरएनुएशन फंड के लिए योगदान कंपनी की नीतियों के अनुसार किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्त पोषित किया जाता है और उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है जिसमें योगदान (प्रीमियम) देय होता है।

2.21 अनुसंधान एवं विकास व्यय

पूंजीगत मदों से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर लगाया जाता है तथा लागू दरों पर मूल्यह्रास किया जाता है। राजस्व व्यय उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में लगाया जाता है जिसमें वह व्यय किया जाता है।

2.22 पूर्वदत्त व्यय

पूर्वदत्त व्ययों का लेखा केवल तभी किया जाता है जब प्रत्येक मामले में अव्यवहित अवधि से संबंधित राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।

2.23 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्ययध्समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकाय के विकास पर स्ट्रिपिंग व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ एवं हानि विवरण में लगाया जाता है।

2.24 दावा न की गई देयता

कार्य/अनुबंध के पूरा होने के बाद, दावा न की गई अनुबंध राशि, बयाना राशि जमाध्सुरक्षा जमा/सावधानी राशि जो कार्य/अनुबंध के बंद होने के बाद पाँच वर्ष से अधिक समय तक बकाया है, उसे विविध आय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यदि वह निर्विवाद है। यदि निर्विवाद क्रेडिट शेष अनुबंध मूल्य के कारण परियोजना से संबंधित है, और या कंपनी की देनदारियों के रूप में निर्धारित नहीं है, तो उसे पहचानी गई प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत में

समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसी मद का विवरण बनाए रखा जाएगा। बाद में वापसी के मामले में, समीक्षा के बाद वापसी के वर्ष में इसे विविध व्यय में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधान

प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व संभवतः कंपनी से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की ओर ले जाएँगे और राशियों का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होता है, जिसमें वर्तमान दायित्व से जुड़े जोखिम और अनिश्चितताएँ शामिल हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

इ. आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताएँ उन संभावित दायित्वों के संबंध में प्रकट की जाती हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहाँ किसी वर्तमान दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है या जहाँ दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ब. आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है तो खातों में नोटों में उनका खुलासा किया जाता है। जब प्रवाह लगभग निश्चित होता है, तो परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

2.26 शेयर पूंजी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.27 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना शेयरधारकों को दिए जाने वाले वर्ष के शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना शेयरधारकों को दिए जाने वाले वर्ष के शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी और संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि परिणाम एंटी–डाइल्यूटिव होगा।

2.28 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आयध्व्यय, जो प्रत्येक मामले में टर्नओवर के 0.50: से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आयध्व्यय के रूप में माना जाता है।

2.29 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिसके तहत कर से पहले लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, पिछले या भविष्य के परिचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद के लिए समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित किया जाता है।

2.30 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, धारणाएँ और निर्णय

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ बनाती है। परिणामी लेखांकन अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन करने का जोखिम रखने वाले अनुमानों और धारणाओं पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें अनुमान संशोधित

किए जाते हैं और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होते हैं।

. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की हानि

कंपनी अपनी संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों की संभावित हानि का आकलन तब करती है जब भी ऐसी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि परिसंपत्तियों का वहन मूल्य वसूल नहीं किया जा सकता है। यदि किसी परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य से बिक्री लागत घटाकर और उपयोग में मूल्य में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक हो तो हानि को पहचाना जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि हुई है या नहीं और कितनी हुई है, इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन अनुमानों को शामिल करता है। हालाँकि, हानि समीक्षा और गणना उन मान्यताओं पर आधारित होती है जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

इ. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

पीपीई का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारक (जैसे ज्ञात तकनीकी प्रगति) शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई और अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

ब. साइट बहाली दायित्व

अनुमान केवल तभी लगाया जाता है जब कंपनी के पास वर्तमान दायित्व हो और यह संभावना हो कि भविष्य में पुनर्वासध्पुनर्स्थापना लागत वहन की जाएगी। दायित्व तब होता है जब पुनर्वासध्पुनर्स्थापना करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई कानूनी रूप से या रचनात्मक रूप से हुई क्षति को सुधारने और पर्यावरण को बहाल करने के लिए बाध्य हो।

क. आयकर

आयकर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे कई लेन–देन और गणनाएँ हैं जिनके लिए अंतिम कर निर्धारण व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान अनिश्चित है। कंपनी इस अनुमान के आधार पर प्रत्याशित कर मुद्दों के लिए देनदारियों को पहचानती है कि क्या अतिरिक्त कर देय होंगे। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशियों से भिन्न होता है, ऐसे अंतर उस अवधि में आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे जिसमें ऐसा निर्धारण किया जाता है।

उन कारकों में कोई भी परिवर्तन उस अवधि में आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया जाता है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

3. सपंत्ति, सयंत्रं और उपकरण

(₹. लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीजहोल्ड भूमि	कारखाने की इमारत	प्रशासनिक एवं अन्य भवन	सयंत्रं और मशीनरी (स्वामित्व)	विद्युत संस्थापन	ओपनकास्ट खदान और भूमिगत खान विकास	फर्नीचर और स्थिरता	उपकरण	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक											
1 अप्रैल 2022	5,462.89	263.93	34,989.87	8,432.88	2,07,426.00	21,426.60	17,974.37	426.25	833.94	518.29	2,97,755.01
परिवर्धन	-	-	2,888.25	248.67	10,178.83	1,949.18	8,539.24	28.18	77.23	-	23,909.58
31 मार्च 2023	5,462.89	263.93	37,878.12	8,681.55	2,17,604.83	23,375.78	26,513.61	454.42	911.17	518.29	3,21,664.59
परिवर्धन	29.55	-	308.01	68.91	2,850.94	272.90	12,408.34	55.61	21.72	21.83	16,037.80
31 मार्च 2024	**5,492.44**	**263.93**	**38,186.12**	**8,750.46**	**2,20,455.78**	**23,648.68**	**38,921.95**	**510.03**	**932.88**	**540.12**	**3,37,702.39**
सचिंत मूल्यह्रास और हानि											
1 अप्रैल 2022	70.56	155.45	9,101.06	1,444.69	96,842.09	10,819.65	5,143.08	276.02	618.10	291.53	1,24,762.22
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	13.44	18.37	1,570.14	214.40	18,196.55	1,826.23	4,375.54	29.40	62.11	34.38	26,340.56
वर्ष के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023	84.00	173.82	10,671.21	1,659.09	1,15,038.64	12,645.88	9,518.62	305.42	680.20	325.91	1,51,102.78
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	18.00	1,564.96	213.77	17,830.44	1,766.97	4,940.75	30.49	68.60	34.81	26,468.80
वर्ष के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024	**84.00**	**191.83**	**12,236.17**	**1,872.86**	**1,32,869.08**	**14,412.85**	**14,459.37**	**335.91**	**748.81**	**360.72**	**1,77,571 .58**
शुद्ध बही मूल्य											
31 मार्च 2024	**5,408.44**	**72.10**	**25,949.95**	**6,877.60**	**87,586.70**	**9,235.84**	**24,462.58**	**174.12**	**184.08**	**179.40**	**1,60,130.81**
31 मार्च 2024	5,378.89	90.11	27,206.91	7,022.46	1,02,566.19	10,729.90	16,995.00	149.00	230.96	192.38	1,70,561.80

4. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

(₹ लाख में)

विवरण	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परिचालन इकाई)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (चालू परियोजना)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परियोजना पूर्व व्यय)	स्थापना हेतु लंबित स्ऑक में पूंजी परिसंपत्ति	कुल
31 अप्रैल 2022	10,916.16	11,504.52	4,800.74	275.27	27,496.69
अतिरिक्त	4,312.70	61.06	389.82	3,462.67	8,226.25
स्थानांतरण	(1,006.19)	(9,202.76)	(86.78)	(2,807.39)	(13,103.12)
31 मार्च 2023	**14,222.66**	**2,362.82**	**5,103.78**	**930.55**	**22,619.82**
अतिरिक्त	9,017.77	-	236.87	1,987.42	11,242.05
स्थानांतरण	(6,754.51)	0	(41.08)	(2,709.11)	(9,504.69)
31 मार्च 2024	**16,485.92**	**2,362.82**	**5,299.57**	**208.86**	**24,357.18**

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिचालन इकाइयों :		
क. जादूगोड़ा माइंस एवं मिल	1,920.90	1,242.92
ख. तुरामडीह खदान	317.57	344.06
ग. बागजाता खदान	4,221.39	4,356.61
घ. तुरामडीह मिल	63.22	54.63
च. मोहुलडीह खदान	3,133.60	2,138.56
छ. तुम्मलापल्ली माइंस एवं मिल	6,824.29	5,900.97
ज. जादूगोड़ा माइंस एवं मिल	4.95	184.92
	16,485.92	**14,222.66**
चालू परियोजनाएं :		
क. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	2,326.59	2,326.59
ख. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	36.23	36.23
	2,362.82	**2,362.82**
परियोजना पूर्व व्ययः		
क. लांबापुर परियोजना	968.71	968.69
ख. केपीएम परियोजना	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्ता परियोजना	238.15	238.15
घ. गोगी परियोजना	735.70	625.04
ङ. रोहिल प्रोजेक्ट	1,960.12	1,875.01
च. यूरेनियम रिकवरी संयंत्र (मुसाबनी)	-	-
छ. गाराडीह	27.04	27.04
ज. कन्नमपल्ले	227.17	227.17
झ. जजवाल परियोजना	137.91	137.91
	5,299.57	**5,103.78**
लंबित स्टॉक में पूजीं परिसंपति की स्थापना/उपयोग :	**208.86**	**930.55**
कुल	**24,357.18**	**22,619.82**

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल 31 मार्च, 2024

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
A. परियोजनाएं चल रही हैं					
परियोजनाएं चल रही हैं	**1,606.99**	**3,180.00**	**2,809.12**	**8,889.81**	**16,485.92**
चालू परियोजनाएं :					
क. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	-	-	-	2,326.59	2,326.59
ख. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	-	-	-	36.23	36.23
कुल	-	-	-	**2,362.82**	**2,362.82**
परियोजना पूर्व व्ययः					
क. लांबापुर परियोजना	0.02	30.01	17.76	920.91	968.71
ख. केपीएम परियोजना	-	-	-	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	-	-	14.86	223.30	238.15
घ. गोगी परियोजना	110.66	76.14	88.29	460.61	735.70
ड़. रोहिल प्रोजेक्ट	85.11	173.37	38.34	1,663.30	1,960.12
दृ. गाराडीह	-	-	-	27.04	27.04
ज. कन्नमपल्ले	-	-	-	227.17	227.17
झ. जजवाल परियोजना	-	26.29	21.86	89.77	137.91
कुल	**195.79**	**305.82**	**181.10**	**4,616.86**	**5,299.57**
स्टॉक में पूजींगत संपत्ति लंबित स्थापना/उपयोग	196.62	4.31	0.27	7.66	208.86
				G.Total	24,357.18

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल 31 मार्च, 2024

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
A. परियोजनाएं चल रही हैं					
परियोजनाएं चल रही हैं	**8,340.84**	**0.00**	**0.00**	**5,881.82**	**14,222.66**
चालू परियोजनाएं :					
क. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	-	-	-	2,326.59	2,326.59
ख. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	-	0.00	36.16	0.07	36.23
कुल	-	**0.00**	**36.16**	**2,326.66**	**2,362.8**
परियोजना पूर्व व्ययः					
क. लांबापुर परियोजना	30.01	17.76	47.53	873.38	968.69
ख. केपीएम परियोजना	-	-	-	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	-	-	154.76	83.40	238.15
घ. गोगी परियोजना	76.14	88.29	66.61	394.01	625.04
ड़. रोहिल प्रोजेक्ट	173.37	38.34	1,629.08	34.22	1,875.01
दृ. गाराडीह	-	-	27.04	-	27.04
ज. कन्नमपल्ले	-	-	227.17	-	227.17
झ. जजवाल परियोजना	26.29	21.86	69.23	20.54	137.91
कुल	**305.82**	**166.24**	**2,221.42**	**2,410.30**	**5,103.78**
स्टॉक में पूजींगत संपत्ति लंबित स्थापना/उपयोग	**898.67**	-	-	**31.88**	**930.55**
				G.Total	**22,619.82**

5. अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वनभूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक			
01 अप्रैल 2022	11,524.72	1,258.96	12,783.68
परिवर्तन / समायोजन			-
31 मार्च 2023	11,524.72	1,258.96	12,783.68
परिवर्तन / समायोजन			-
31 मार्च 2024	**11,524.72**	**1,258.96**	**12,783.68**
ऋण परिशोधन और क्षति			
31 मार्च 2022	11,524.72	569.71	12,094.43
ऋण परिशोधन	-	85.21	85.21
31 मार्च 2023	11,524.72	654.92	12,179.64
ऋण परिशोधन		85.21	85.21
31 मार्च 2024	11,524.72	740.13	12,264.86
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2024		**518.83**	**604.04**
31 मार्च 2023		604.04	604.04

वन भूमि के उपयोग का अधिकार : विशिष्ट उपयोग और स्वामित्व के लि झारखंड सरकार से प्राप्त की गई 437.164 एकड़ (31.03.2022 : 437.164 एकड़) की वन भूमि झारखंड सरकार के पास पड़ी है

6. ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
गैर–वर्त्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जा वसूली योग्य समझे गए		
–कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	506.27	520.57
प्रतिभूति–रहित, जो वसूली योग्य समझे गए है		
–कर्मचारियों को अग्रिम	99.08	104.23
	605.35	**624.80**
वर्त्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए		
–कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम	153.52	153.77
प्रतिभूति–रहित, जो वसूली योग्य समझे गए है		
–कर्मचारियों को अग्रिम	478.13	520.44
–कर्मचारियों से अन्य प्राप्तियां	12.72	8.84
–अन्य प्राप्तियां	3,494.09	3,439.47
	4,138.45	**4,122.52**

7. अन्य गैर-वर्त्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
पूजीं अग्रिम (प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए)	552.39	94.85
	552.39	**94.85**

8. मालसूची (इन्वेंटरी)

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कच्चा माल		3,262.70	3,452.15
कार्य प्रगति पर		6,312.17	6,405.18
तैयार माल		-	-
अयस्क		8,303.24	4,783.03
गौण उत्पाद	45.86		
घटाए : प्रावधान	3.25	42.61	37.16
रद्दी माल		629.55	471.84
स्टोर और पुर्जे		5,055.74	5,472.98
घटाए : अप्रचलित स्टोर और पुर्जे के लिए प्रावधान		(623.45)	(478.82)
		4,432.29	4,994.16
स्ओर और पुर्जे – पारागमन में		276.57	345.39
		23,259.12	**20,488.90**

9. कारोवार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कारोबार प्राप्तियां (सुरक्षित युक्त, जिन्हें वसूली योग्य समझा गया)	28,271.41	21,897.74
	28,271.41	**21,897.74**

–विल प्राप्त करने वाले व्यापार 28,271.41
– अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य शून्य

31 मार्च 2024

(₹ लाख में)

विवरण	प्राप्ति की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	17,091.38	3,873.13	7,306.90	—	—	28,271.41
2. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	—	—	—	—	—	—
3. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
4. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
5. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ह	—	—	—	—	—	—
6. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
कुल	**17,091.38**	**3,873.13**	**7,306.90**	—	—	**28,271.41**

31 मार्च 2023

(₹ लाख में)

	प्राप्ति की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने–1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	21,897.74	—		—	—	21,897.742
2. अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	—	—	—	—	—	—
3. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
4. विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
5. विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं	—	—	—	—	—	—
6. अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
कुल	**21,897.74**	—	—	—	—	**21,897.742**

10. नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
हाथ में नकदी (अग्रदाय नकदी और स्आंप सहित)	0.76	1.02
बैकों में जमा शेष :		
– चालू खाता में	120.13	4,646.96
– तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	330.49	47.83
– तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)	331.50	315.68
	782.89	**5,011.50**

11. नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	1,95188.17	73,808.08
तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)*	34.84	33.38
	1,95,223.01	**73,841.46**

* ऋण पत्र के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
गैर –वर्त्तमान		
प्रतिभूति जमा	1,092.23	987.97
कर्मचारी से अर्जित ब्याज	666.66	728.32
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना	7,039.26	97,638.24
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)*	1,105.17	1,061.15
जीएलएस पॉलिसी में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ संतूलन	12,000.08	11,136.17
	21,903.40	**1,11,551.86**
वर्त्तमान		
उपार्जित ब्याज		
– बैंकों से	4,057.34	3,336.91
– कर्मचारियों से	84.85	81.41
– अन्य से	0.77	0.77
	4,142.96	**3,419.09**

* बैंक गारंटी के विरुद्ध ग्रहणाधिकार

13. अन्य वर्त्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
पूर्वदत्त व्यय	31.68	30.80
अग्रिम (प्रतिभूति–रहित)		
–ठेकेदारो, सरकारी विभाग आदि को अग्रिम	16,626.68	16,100.82
–आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम		
क) वसूली योग्य समझे गए	1,351.58	1,140.34
ख) संदिग्ध माने गए	2.33	2.33
	1,353.92	1,142.68
घटाए : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.33	2.33
	1,351.58	1,140.34
	18,009.94	**17,271.96**

टिप्पणी : ठेकेदारों को अग्रिम सरकार। विभाग आदि में विवादित मांग के विरुद्ध वर्ष 2007–08 में झारखंड सरकार के जिला खनन कार्यालय के विरुद्ध के तहत जमा मैग्नेटाइट पर रॉयल्टी के 165.63 लाख रुपये शामिल हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने यूसीआईएल के पक्ष में दिनांक 15.01.2024 को एक आदेश सुनाया है और खान प्राधिकरण को निर्धारित राशि और समझौते के अनुसार ब्याज सहित पुनर्गणना करने और यूसीआईएल द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है। अब मामला संबंधित विभाग के पास है।

13. शेयर पूंजी

क) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	इक्विटी शेयर	
	संख्या	लाख में
अधिकृत शेयर पूंजी		
1 अप्रैल 2022	350,00,000	3,50,000.00
शेयर पूंजी में वृद्धि/कमी	-	-
31 मार्च 2023	350,00,000	3,50,000.00
शेयर पूंजी में वृद्धि/कमी	-	-
31 मार्च 2024	**350,00,000**	**3,50,000.00**

ख) इक्विटी पूंजी निर्गम

विवरण	संख्या	लाख में
I. रु. 1000/– प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 581/– तक का भुगतान नकद के अलावा में तथा रु. 419/– प्रत्येक का भुगतान नकद में		
1 अप्रैल 2022	1,00,000	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2023	1,00,000	1,000.00
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024	**1,00,000**	**1,000.00**
II. रु. 1000/– प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य के रुप में मान्य करने हेतु पूर्ण प्रदत्त के रुप में आवंटित किए गए है		
1 अप्रैल 2022	1,853	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2023	1,853	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024	**1,853**	**18.53**
III. रु. 1000/– प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद पूर्णतः नकद में भुगतान	-	
1 अप्रैल 2022	208,44,325	2,08,443.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2023	208,44,325	2,08,443.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2024	**208,44,325**	**2,08,443.25**
31 मार्च 2024	**209,46,178**	**2,09,461.78**
31 मार्च 2023	209,46,178	2,09,461.78

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 1000/– प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने रुपये के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 19,501 लाख (च.ल. रु. 10,200 लाख)। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इन वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

घ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

31.03.2024

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर				
क्रम. स.	प्रमोटरों का नाम	शेयर के संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति*	1,84,30,778	88%	(12%)
2	एन पी सी आई एल	25,15,400	12%	12%
कुल		2,09,46,178	100%	-

* सरकार के शेयर शामिल हैं। प्रत्याशियों

31.03.2023

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर				
क्रम. स.	प्रमोटरों का नाम	शेयर के संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
1	President of India	209,46,178	100%	-
कुल		209,46,178	100%	-

✱ सरकार प्रत्याशियों के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी :

1. राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 में एनपीसीआईएल द्वारा यूसीआईएल में 25% इक्विटी की खरीद – डीएई से एनपीसीआईएल को शेयरों का हस्तांतरण।
2. परमाणु ऊर्जा आयोग और सचिव, डीएई द्वारा जारी राष्ट्रपति निर्देश (पत्र संख्या 19/10/2021–पावर/3606 दिनांक 17.03.2023)।
3. पहला लॉट 2515400 इक्विटी शेयर एनपीसीआईएल के पक्ष में स्थानांतरित किया गया (444.66 करोड़ रुपये के भुगतान के विरुद्ध)।
4. दूसरा लॉट 2721145 इक्विटी शेयर एनपीसीआईएल के पक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा (भुगतान के विरुद्ध रु. 481.03 करोड़)।
5. एनपीसीआईएल ने बताया कि 2721145 शेयरों के लिए 15 मार्च 2024 को डीएई को 481.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। हालाँकि, शेयर हस्तांतरण अभी पूरा नहीं हुआ है।

15. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2022	-	14,336.03	1,70,672.23	1,85,008.26
वर्ष के लिए लाभ	-	-	6,570.30	6,570.30
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(843.49)	(843.49)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	-	-	-	-
शेयर निर्गमन	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	(19,724.00)	(19,724.00)
अंतरिम लाभांश	-	-	(10,200.00)	(10,200.00)
31 मार्च 2023	**-**	**14,336.03**	**1,46,475.04**	**1,60,811.07**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	23,863.37	23,863.37
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(4,130.48)	(4,130.48)
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	-	-	-	-
शेयर निर्गमन	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	0.00	0.00
अंतरिम लाभांश भुगतान	-	-	0.00	0.00
31मार्च 2024	**-**	**14,336.03**	**1,66,207.93**	**1,80,543.96**

सामान्य आरक्षित:

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

16. वित्तीय देनदारियां

क) वर्तमान उधारियां

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
प्रतिभूति–रहित		
अन्य संस्था से ऋण	-	-
	-	-

ख) व्यापार देय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
विविध लेनदार		
–एमएसएमई	1,355.05	2,808.50
– अन्य	12,044.66	12,608.54
कुल	**13,399.70**	**15,417.04**

व्यापार देय की अनुसूची

31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
एमएसएमइ	1,067.21	119.03	58.90	109.90	1,355.05
अन्य	4,007.57	5,465.25	1,127.21	1,444.63	12,044.66
विवादित बकाया एमएसएमइ	-	-	-	-	-
विवादित बकाया अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**5,074.78**	**5,584.28**	**1,186.11**	**1,554.53**	**13,399.70**

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

Particulars	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	तीन वर्ष से अधिक	
एमएसएमइ	2,687.42	121.08	-	-	2,808.50
अन्य	8,429.79	3,026.95	618.10	533.71	12,608.54
विवादित बकाया एमएसएमइ	-	-	-	-	-
विवादित बकाया अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**11,117.21**	**3,148.03**	**618.10**	**533.71**	**15,417.04**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष के अंत में बकाया मूल राशि	1,355.05	2,808.01
वर्ष के अंत में बकाया ब्याज राशि	0.49	
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान की गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्त्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा भुगतान की गई ब्याज राशि		
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्त्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि	-	-
पहले से किए गए भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं को बकाया और देय ब्याज	-	0.49
पहले के वर्षों के लिए अन्य बकाया एवं देय ब्याज	-	

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण सम्बंधित आपूर्तिकर्ताओंसे उपलब्ध जानकारी तक सीमित है ।

ग) अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
गैर–वर्त्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	774.42	1,386.53
	774.42	**1,386.53**
वर्त्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	45,342.09	39,638.91
कर्मचारी और एसीईएस के लिए देयता	2,441.28	3,641.81
सरकारी संस्थाओं के लिए के लिए देयता देखें टिप्पणी (i) & (ii))	4,678.19	4,454.88
अन्य खर्चों के के लिए देयता	549.07	564.90
	53,010.63	**48,300.50**

टिप्पणी:

(I) वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद पड़ी तुरामडीह परियोजना की परिसंपत्तियों को 2322.00 लाख रुपये में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खदान के फिर से खुलने पर परिसंपत्तियों को वापस ले लिया गया है। सीआरपीएफ द्वारा किए गए 3467.00 लाख रुपये के कुल दावे की तुलना में पिछले वर्षों में 2947.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। शेष 520.00 लाख रुपए अंतिम निपटान के लंबित खातों में उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(ii) कंपनी बंद तुरामडीह खदान की रू.1110.60 लाख (31.03.2021रू रू.1110.60 लाख) मूल्य की भूमि एव अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है, जो भारत सरकार से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा संचित मूल्य के आधार पर रू.1110.60 लाख (31.03.2021रू रू.1110.60 लाख) का प्रावधान लेखा में किया गया है।.

17. प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
– ग्रेच्युटी	-	4,170	-	(318.47)
– अवकाश नकदीकरण	11,752.40	660.18	10,968.32	623.50
– सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ	8,583.54	155.99	7,172.03	129.34
– छुटटी यात्रा रियायत	-	-	-	-
	20,335.94	**4,986.02**	**18,140.35**	**434.37**
अन्य के लिए प्रावधान				
– खादान बंदी दायित्व	1,118.85	-	1,035.98	-
– सीआईएसएफ बकाया	-	-	-	-
– अन्य	-	3.13	-	6.63
	1,118.85	**3.13**	**1,035.98**	**6.63**
कुल प्रावधान	**21,454.80**	**4,989.15**	**19,176.32**	**441.00**

नोट : श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ 2021–22 में पेश किया गया है। अवकाश नकदीकरण के प्रावधान में स्कूल कर्मचारियों के लिए प्रावधान शामिल है।

18. वर्तमान कर देयता (शुद्व)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कराधन के प्रावधान	16,447.51	5,635.97
घटाएं : कराधान के लिए अग्रिम	24,574.08	18,358.60
वर्तमान कर संपत्ति /देनदारियां	**(18,126.58)**	**(12,722.63)**

नोटः कराधन के प्रावधान में पिछले वर्षो के लिए 10811.53 लाख और बाकि वर्तमान कर शामिल है । वित्त वर्ष 2023–24 और पिछले वर्षो के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम कर।

19. आस्थागित कर देयता (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आस्थागित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	9,267.68	11,223.35
आस्थागित कर परिसंपत्तियां		
पूर्वदत्त व्यय	0.43	1.28
अप्रचलित स्ओर के लिए प्रावधान	156.91	120.51
अवकाश नकदीकरण के लिए देयता	3,121.29	2,914.74
सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	2,199.56	1,837.61
खदान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	281.59	260.73
	5,759.79	5,134.88
आस्थागित कर देयता (शुद्ध)	**3,507.90**	**6,088.47**

20. अन्य वर्त्तमान देयता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पनी i एवं ii देखें)	754.45	754.45
गोगी ओर रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त धन (टिप्पनी iii एवं देखें)	209.99	733.35
सरकारी संस्थानों के लिए देयता	4.26	2.69
कर्मचारी एवं एईसीएस के लिए देयता	1,011.22	980.10
वैधानिक बकाया	900.06	1,279.65
	2,879.97	**3,750.24**

टिप्पणी:

i. केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथाबा खनन और संयंत्र परियोजना मेघालय में कार्यान्वयन की सुगमता हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार से रु 4000 लाख (31.03.2022:रु 4000 लाख) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई। रु 4000 लाख की कुल राशि में से रु 3322.03 लाख (31.03.2022: 3322.03 लाख रुपये) की राशि 31.03.2023 तक केएचएडीसी को जारी कर दी गयी थी।

ii. अनुदान सहायता की बाकी राशि में उस पर अर्जित संचयी ब्याज की रु 76.49 लाख राशि (31.03.2022: रु 76.49 लाख) शामिल है।

iii. राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। रोहिल में खोजपूर्ण खनन कार्य के लिए एएमडी ने यूसीआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधियों को किए गए कार्य के साथ समायोजित किया जाता है और शेष 596.41 रुपये को बही-खातों में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

iv. कर्नाटक के यादगिरी जिले में गोगी परियोजना के लिए खोजपूर्ण खनन द्वारा पूर्वेक्षण संचालन कार्य हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच दिनांक 06.03.2007 को एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसके लिए एएमडी द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है और शेष 136.93 लाख रुपये लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया है।

21. परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
a) चालू वर्ष के लिए	2,54,101.29	2,57,849.24
b) पिछले वर्ष के लिए	(22,918.32)	(39,204.60)
	2,31182.96	**2,18,644.64**
अन्य परिचालन राजस्व		
गौण–उत्पादों की बिक्री	525.29	566.56
कुल	**2,31,708.26**	**2,19,211.20**

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए यूरेनियम सांद्रण के मुआवजे की दर को अंतिम रूप दे दिया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु मुआवजे की दर अनन्तिम रूप से निर्धारित कर दी गई है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए यूरेनियम सांद्रण के मुआवजे की दर को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। वर्ष 2023–24 के लिए परिचालन से राजस्व निर्धारित करने के लिए भारत में वर्ष 2022–23 के लिए यूरेनियम सांद्रण के लिए मुआवजे की अनंतिम दर पर विचार किया गया है। यदि कोई अंतर होगा तो उसका हिसाब दर तय होने के वर्ष में किया जाएगा। पिछले वर्षों का मुआवजा ऊपर दर्शाया गया है।

22. अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
बैंकों और एलआईसी में जमा राशि पर ब्याज	13,352.77	6,452.79
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	-
अन्य पर ब्याज	64.96	250.94
कबाड़ सामग्री की बिक्री	167.53	162.33
उपकरणों और वाहनों का किराया शुल्क	1.82	1.55
आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग संशोधन भाड़ा दंड आदि से संबधित वसूली	817.23	887.25
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	0.58	0.23
देयताएं और प्रावधान जो अब अनावश्यक हो चुके है	510.14	383.24
टाउनशिप रसीद	467.42	459.33
विविध रसीद	173.73	149.08
कुल	**15,556.18**	**8,746.75**

23. (क). खपत सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कच्चे माल का आरंभिक भंडार	3,457.15	2,191.09
जोड़े : खरीद	22,334.92	27,102.59
घटाऐं : कच्चे माल का अंतिम भंडार	3,267.70	3,452.15
कच्चे माल की खपत	**22,524.38**	**25,841.52**

23. (ख) तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य की सूची (इन्वेटरी) में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष के आरंभ में मालसूची (इन्वेंटरी)		
– तैयार माल	-	
– अयस्क	4,783.03	3,601.40
– गौण उत्पाद	40.41	21.45
– प्रगतिधीन कार्य	6,405.18	10,081.77
– रद्दी माल	471.84	294.06
	11,700.46	**13,998.68**
घआएं : वर्ष के अंत में मालसूची (इन्वेंटरी)		
– तैयार माल		
– तैयार माल	-	-
– अयस्क	8,303.24	4,783.03
– गौण उत्पाद	45.86	40.41
– प्रगतिधीन काय	6,312.17	6,405.18
– रद्दी माल	629.55	471.84
	15,290.82	**11,700.46**
मालसूची में कुल (वृद्धि)/कमी	**(3,590.36)**	**2,298.21**

24. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वेतन मजदूरी और भत्ते	52,917.19	49,971.58
भविष्य निधि मे योगदान	4,618.08	4,397.04
ग्रेच्युटी निधि मे योगदान	700.99	800.33
कल्याण कोष में योगदान	1.65	2.00
सेवानिवृति निधि में योगदान	686.66	431.38
सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ	1,040.68	636.44
एल टी सी व्यय	0.58	1.20
कर्मचारी कल्याण व्यय	789.41	826.93
चिकित्सा व्यय	3,212.32	3,341.55
	63,967.56	**60,408.46**

वेतन और मजदूरी सहित अन्य लाभ रु. पानी की लागत से संबंधित 583.88 लाख (2022–23 रु 542.88 लाख रुपये) वेतन और मजदूरी और अन्य लाभों में शामिल नहीं है।

25. वित्त लाभ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आयकर पर ब्याज	16.90	678.19
खदान बंदी दायित्व के लिए छूट का मोचन	82.88	76.74
	99.77	**754.93**

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास (टिप्पणी 3)	26,468.80	26,340.56
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी 5)	85.21	85.21
घटाएं : परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय	(1.59)	(0.70)
	26,552.41	**26,425.07**

27. अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
संविदात्मक खान विकास व्यय	9,863.44	7,503.18
तुम्मालपल्ली संविदात्मक खनन व्यय	22,712.22	22,685.66
स्टोर और पुर्जो का उपयोग	15,712.53	18,379.48
बिजली और ईंधन	16,825.46	15,195.32
जल प्रभार	1,292.18	1,148.52
रॉयल्टी	6,028.03	5,712.47
परिवहन व्यय	949.18	878.44
मरम्मत और रखरखाव : (टिप्पणी क देखें)		
– संयत्र एवं मशीन	14,904.06	13,985.89
– इमारतें	1,278.43	1,288.97
– अन्य	2,632.20	1,374.79
माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क	530.80	501.30
अप्रचलित स्टोर प्रावधान	164.42	30.59
दरें और कर	25.03	24.99
सुरक्षा खर्च	8,106.03	8,234.35
बीमा	34.29	45.66
विज्ञापन	11.77	30.83
यात्रा और वाहन	238.86	247.26
वाहन किराया शुल्क	1,520.91	1,719.20
संचार लागत	81.22	94.94
छपाई और लेखन सामग्री	74.83	40.22
परामर्श शुल्क	717.22	1,082.62
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी ख देखें)	5.06	4.83
विधिक और पेशेवर शुल्क	81.50	32.79
सीएसआर व्यय (टिप्पणी ग देख)	909.93	1,245.57
जीएसटी व्यय	18.59	6.66
टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं का व्यय	404.43	257.73
अशोध्य ऋण माफ कर दिया गया	-	411.59
विविध व्यय	374.87	348.60
कुल	**1,05,497.49**	**1,02,512.46**

टिप्पणी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
क) मरम्मत और रखरखाव में शमिल हैं		
– स्टोर का उपभोग	2,753.92	3,259.27
–पुर्जो का उपभोगं	11,864.13	9,929.68

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ख) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण		
– लेखा परीक्षा शुल्क	3.76	3.76
– कर लेखा परीक्षा	1.06	0.83
– अन्य सेवाओं के लिए	0.24	0.24
कुल	**5.06**	**4.83**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		
वित्तीय वर्ष 2023–24 कि लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाली व्यय राशि और वित्तीय विवरण इस प्रकार है		
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षो का कुल शुद्व लाभ	1,49,785.68	1,99,751.77
शुद्व लाभ का औसत	49,928.56	66,583.92
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रतिशत	2.00%	2.00%
वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	998.57	1,331.68
वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक राशि	909.93	1,245.57
अधिशेष / (कमी)	(88.64)	(86.11)
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
(i) किसी परिसंपति का निर्माण / अधिग्रहण – नकद रुप में	268.18	235.31
– अभी नकद में भुगतान किया जाना है	18.50	57.76
	286.68	293.07
(ii) – उपरोक्त (i) के अलावा – नकद रुप में	580.66	886.26
– अभी नकद में भुगतान किया जाना है	42.60	66.24
	623.25	952.50
	909.93	**1,245.57**

यूसीआईएल की सीएसआर पहल शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, विकास परियोजनाओं, कौशल विकास, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में कंपनी के संचालन के क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–22 के दौरान 218.93 लाख रुपये की अतिरिक्त सीएसआर राशि वहन की है और इसे कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अगले तीन वित्तीय वर्षों (यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 और उसके बाद) के दौरान स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसलिए यूसीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021–22 में यूसीआईएल द्वारा वहन की गई अतिरिक्त सीएसआर राशि से 86.10 लाख रुपये की कमी को समायोजित किया गया है। निर्धारित होने के बाद, 31.08.2023 तक भविष्य के लिए 132.83 लाख रुपये की शेष अधिशेष राशि उपलब्ध है।

28. आयकर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्त्तमान कर		
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर कर	10,811.53	5,186.38
पहले के वर्षों से संबधित कर	-	-
	10,811.53	5,186.38
आस्थागित कर		
आस्थागित कर प्रभार / (क्रेडिट)	(2,461.72)	(2,039.38)
मैट क्रेडिट (लिया गया)/उपयोग किया गया	0	0
कुल आस्थागित आयकर व्यय/लाभ	(2,461.72)	(2,039.38)
कुल आयकर व्यय	**8,349.81**	**3,147.00**

आय कर से पहले लाभ पर वैधानिक आयकर दर को लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का सारांश नीचे दिया गया हैरू

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
भारत में आयकर की अधिनियमित दर	25.17%	25.17%
कर से पूर्व लाभ	32,213.18	9,717.30
भारत में लागू आयकर दर के अनुसार कर से पूर्वलाभ पर वर्त्तमान कर व्यय	8,107.41	2,445.65
भुगतान के आधार पर अनुमति दिए गए आइटम	13.39	387.74
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य/(कर योग्य) नही है	229.01	313.61
पहले के वर्षो से संबंधित कर :	-	-
कुल आयकर व्यय/क्रेडिट	**8,349.81**	**3,147.00**

धारा 115बीएए, आयकर अधिनियम 1961, वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, वर्ष 2022–23 के लिए लागू कर की दर 25.17: (2021–22 – 25.17:) है । प्रभावी कर की दर 25.17: (2018–19रू 25.17:) है।

आस्थागित कर (देयता)/परिसंपत्तियों में संचलन

(₹ लाख में)

विवरण	पीपीई	कर्मचारी लाभ	अप्रचलित स्टोर	अन्य वस्तु	मैट क्रेडिट	कुल
1st अप्रैल 2022	**(13,024.96)**	**3,878.29**	**112.85**	**241.89**	-	**(8,791.93)**
प्रभारित / (क्रेडिट):						
– लाभ या हानि	1,801.61	209.99	7.66	20.13	-	2,039.39
– अन्य व्यापक आय	-	664.07	-	-	-	664.07
31 मार्च 2023	**(11,223.35)**	**4,752.35**	**120.51**	**262.07**	-	**(6,088.47**
प्रभारित / (क्रेडिट):						
– लाभ या हानि	1,955.67	449.65	36.40	20.01	-	2,461.72
– अन्य व्यापक आय	-	118.86	-	-	-	118.86
31 मार्च 2024	**(9,267.68)**	**5,320.85**	**156.91**	**282.02**	-	**(3,507.90)**

29. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष के लिए लाभ/ हानि	23,863.37	6,570.30
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	209.46	209.46
प्रति शेयर बेशिक और डाइल्यूटेड आय (रु:) (प्रति शेयर रु: 1000 का अंकित मूल्य)	113.93	31.37

30. कर्मचारी लाभ दायितव

क) परिभाषित अंशदायी योजना

(` in lakhs)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	4,618.08	4,397.04
सेवानिवृति निधि में योगदान	686.66	431.38

ख) परिभाषित लाभ योजनाएं

विवरण	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान	वर्त्तमान	गैर–वर्त्तमान
सेवानिवृति पश्चात विकित्सा लाभ	155.99	8,583.54	129.34	7,172.03
ग्रेच्युटी	-	(2,003.09)	-	2,485.23
अवकाश निधि में योगदान	660.18	11,752.40	561.99	10,357.10

30. कर्मचारी लाभ दायितव

I. सेवानिवृति पश्चात विकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृति पश्चात स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करती है। इन लाभों के लिए पात्रता की शर्त आमतौर पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहना और न्यूनतम सेवा अवधि का पूरा करना होती है । इन लाभों की अपेक्षित लागतों को नियोजन की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके उपार्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओश्के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापित लाभों और हानियों तथा बीमांकिक मान्यताओश्में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में उसी अवधि में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

क) तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
योजना देनदारियों का वर्त्तमान मूल्य	8,739.53	7,301.37
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्व देयता/ परिसंपति	8,739.53	7,301.37

ख़ योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों का संचालन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1 अप्रैल को	7,301.37	4,209.53
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	510.40	339.94
शुद्ध ब्याज	530.28	296.50
	1,040.68	636.44
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि		
– जनसांख्यिकीय मान्यताएं	-	-
– वित्तीय मान्यताएं	484	(140.58)
– अनुभव समायोजन	472.25	2,638.54
भुगतान किए गए लाभ	(74.77)	(183.14)
31 मार्च तक	**8,739.53**	**7,301.37**

ग. लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रुप में मान्य की गयी राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
पिछली सेवा लागत	-	
वर्तमान सेवा लागत	510.40	339.94
शुद्ध ब्याज	530.28	296.50
	1040.68	636.44
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**1040.68**	**636.44**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन		
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमाकिंक लाभ/हानि	472.25	2,638.54
कर से पहले अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ/हानि	**472.25**	**2,638.54**

घ. धारणाएं

तुलन पत्र की तारिख के अनुसार प्रमुख बीमांकिक धारणाएं :

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
छुट का दर (%)	7.00%	7.30%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	6.00%	6.00%

ड. मान्यताएं

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक धारणाएं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव
छुट का दर (अधिकारियों)	1.00%	(1,120.77)	1,480.46	1.00%	(927.96)	1,222.31
छुट का दर (कर्मचारियों)	1.00%	(351.62)	464.30	1.00%	(287.06)	378.70
चिकित्सा वृद्धि दर (अधिकारिया)	1.00%	1,447.38	(1,116.55)	1.00%	1,198.53	(926.46)
चिकित्सा वृद्धि दर (कर्मचारियों)	1.00%	454.22	(350.63)	1.00%	371.70	(286.46)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अलश्में होने वाली प्रमुख मान्यताओश्में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्स्ट्रपलेशन) करनी है।

च. परिपक्वता

परिभाषित लाभ निम्नलिखित रुप में परिपक्क होगें : (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
2024	-	133.98
2025	161.35	162.41
2026	189.92	188.42
2027	221.87	218.24
2028	253.33	247.62
2029	288.63	1,736.18
2030 और इसके बाद	1,979.52	

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है ।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

II. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के लिए देयताएं जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की है उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर पूर्णतः से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है । रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन के एक परिणाम के रूप में पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओंमें परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क. तुलन पत्र में मान्य की गयी राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	12,007.95	10,919.09
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्व देयता/परिसंपत्ति	**12,007.95**	**10,919.09**

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचालन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
01 अप्रैल को	10,919.09	10,519.42
वर्तमान सेवा लागत	1,451.09	1,407.52
शुद्व ब्याज	696.94	653.65
लाभ/हानि की तत्काल मान्यता – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	1,419.44	701.64
शुद्व अवकाश नकदीकरण लागत	3,567.47	2,762.81
घटाएं : राशि IEDC को हस्तांतरित	–	–
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्व प्रभाव	3,567.47	2,762.81
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्व ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)		
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ/हानि		
– जनसांख्यिकीय मान्यताएं	–	–
– वित्तीय मान्यताएं	199	(187.24)
– अनुभव समायोजन	1,220.91	888.88
लाभ/हानि की तत्काल मान्यता – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	(1,419.44)	(701.64)
अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्व लाभ	–	–
भुगतान किए गए लाभ	(2,478.61)	(2,363.14)
31 मार्च तक	**12,007.95**	**10,919.09**

ग. मान्यताए

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
छुट की दर (%)	7.00%	7.20%
वेतन दर में वृद्धि	5.00%	5.00%

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओश्में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव
छुट की दर	1.00%	(937.24)	1,087.11	1.00%	(857.70)	995.71
वेतन दर में वृद्धि	1.00%	1,098.45	(962.52)	1.00%	1,008.14	(882.36)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

ङ. परिपक्वता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
2024	-	581.87
2025	637.33	1,102.30
2026	1,088.41	1,234.42
2027	1,091.59	1,335.39
2028	942.41	1,230.60
2029	1.116.51	9,211.99
2030 और इसके बाद	5,309.24	-

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

कंपनी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान है। 5 साल की अवधि तक निरंतर सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति ध समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारियों द्वारा अतिम माह में आहरित मूल वेतन के आधार पर आनुपातिक रुप से सेवा के कुल वर्षो की संख्या में 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडों में योगदान करती है।

क. तुलन–पत्र में मान्य की गयी राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वित्त पोषित योजना देनदारियों का वर्त्तमान मूल्य	30,512.88	29,389.12
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	28,509.79	31,874.35
शुद्ध देयता/संपत्ति	**2,003**	**(2,485.23)**

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियो	शुद्ध (देयता–परिसंपत्तियों)	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियो	शुद्ध (देयता–परिसंपत्तियों)
1 अप्रैल को	29,389.12	31,874.34	(2,485.22)	28,456.23	30,283.06	(1,826.83)
वर्तमान सेवा लागत	890.17	-	890.17	952.29	-	952.29
ब्याज व्यय/आय	2,025.26	2,204.20	(178.94)	1,916.68	2,056.46	(139.78)
	2,915.43	2,204.20	711.23	2,868.97	2,056.46	812.51
विगत सेवा लागत–योजना में संशोधन	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शमिल राशि को छोड़कर	-	(3,047.80)	3,048	-	1,344.97	(1,344.97)
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
– जनसांख्यिकीय मान्यताए	-	-	-	-	-	-
– वित्तीय मान्यताए	437	-	437	(432.63)	-	(432.63)
– अनुभव समायोजन	292.62	-	292.62	646.63	-	646.63
	729.28	(3,047.80)	3,777	214.00	1,344.97	(1,130.97)
भुग किए गए लाभ	(2,520.95)	(2,520.95)	-	(2,150.08)	(2,150.08)	-
नियोक्ता का योगदान	-	-	-	-	339.93	(339.93)
31 मार्च तक	**30,512.88**	**28,509.80**	**2,003.09**	**29,389.12**	**31,874.34**	**(2,485.22)**

ग. कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्तमान सेवा लागत	890.17	952.29
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ब्याज	(178.94)	(139.78)
	711.23	812.51
घटाएं : राशि IEDC को हस्तांरित	-	-
कर से पहले लाभ/हानि पर शुद्ध प्रभाव	**711.23**	**812.51**
पुनः दृ शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की माप		
एक्टयुरियल लाभ/मान्यताअें में परिवर्तन से उत्पन्न हानि	3,777.09	-1,130.98
घटाएं : राशि IEDC को हस्तांरित	-	-
ाकर से पहले अन्य व्यापक आय में शुद्ध (लाभ)/हानि को मान्यता दी गई	**3,777.09**	**(1,130.98)**

घ. योजना परिसंपत्तियों के निवेश का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
i. भारत सरकार की प्रतिभूति	-	-
ii. कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
iii. विशेष जमा योजन	-	-
iv. अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

ग. मान्यताएं

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
छुट की दर (%)	7.00%	7.20%
वेतन दर में वृद्धि	5.00%	5.00%

30 कर्मचारी लाभ दायित्व

iii. ग्रेच्युटी

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव
छुट की दर	1.00%	(2,072.06)	2,371.60	1.00%	(1,999.65)	2,285.99
वेतन दर में वृद्धि	1.00%	1,357.40	(1,409.12)	1.00%	1,386.44	(1,417.63)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव को बढ़ाता है।

ड. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नानुसार परिपक्व होंगे :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
2024	-	1,797.62
2025	1,831.71	2,765.98
2026	3,293.83	3,279.35
2027	3,066.51	3,115.25
2028	2,864.72	19,476.67
2029 और इसके बाद	18,006.37	

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
क. ऋण के रुप में न स्वीकार किया गया दावा		
– झारखंड बिजली बोर्ड द्वारा ईंधन अधिमार का दावा	1,855.00	1,855.00
– इसकी कटौती और कर देयता के लिए आयकर :	-	-
वर्ष (राशि लाख में) लंबित है		
वित्त वर्ष 2017-18 128.22 ITAT		
वित्त वर्ष 2018-19 296.95 CIT (A)		
वित्त वर्ष 2019-20 1,802.30 CIT (A)		
	2,227.47	332.92
खरकई नहर डिवीजन आदित्यपुर द्वारा खरकई नदी से जल आपूर्ति हेतु दावा किया गया जल शुल्क	1,933.00	1,933.00
– अन्य	0.59	0.59
ख. पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	2,930.01	5,115.82
ग. मेसर्स माइथी इंफ्रा (यह आर्बिट्रल अवार्ड राशि है, जिसके खिलाफ यूसीआईएल ने वाणिज्यिक न्यायालय, जमशेदपुर में अपील की थी)	1,018.84	
घ. मेसर्स राधेश्याम अग्रवाल (पार्टी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उठाए गए दावे की यह राशि मध्यस्थ के समक्ष लंबित है)	2,213.45	

विभिन्न अदालतों में सेवा मामलों सहित अन्य मामले लंबित हैं जिनके मुकाबले लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ६ आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर वे मात्रात्मक मापम योग्य नहीं है।

32. सम्बधित पक्ष प्रकटीकरण

(I) संबधित पक्षों का नाम और संबंध का विवरण :

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(क) पूरे समय के निदेशक

डॉ. एस.के. सतपति, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, यूईडी, बीएआरसी 2019–20 से सी एंड एमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 01.03.2024

डॉ. सी.के. असनानी, 29.02.2024 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सारदा भूषण मोहंती, निदेशक (वित्त) आईआरईएल इंडिया लिमिटेड, निदेशक (वित्त) यूसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 01.12.2023

श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) 15.06.2021

(ख) निदेशक, उनके रिश्तेदार और उनके उद्यम जिन पर वे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं

मुख्य सचिव, झारखंड सरकार

श्री ए.आर. सुले, अपर. सचिव, डीएई 13.03.2024 तक

श्री राजीव के मित्तल, आईएएस, अतिरिक्त। सचिव एवं वित्त सलाहकार, डीएई (15.12.2023 से 31.03.2024)

श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई 08.11.2023 तक

श्रीमती अंजलि सिन्हा, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई। 13.03.2024

डॉ. कोमल कपूर, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी 01.01.2023 से

श्री बी. सरवनन, निदेशक, एएमडी 30.04.2024 तक

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री पी.के. पांडा, स्वतंत्र निदेशक 24.03.2022

(ग) श्री बी. सी. गुप्ता, कम्पनी सचिव

(II) संबधित पक्ष लेनदेन

पूरे समय के निदेशक और कम्पनी सचिव का मुआवजा (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	222.08	169.66
नियोजन पश्चात लाभ	23.62	22.95

व्यापार प्राप्य नकदी और नकद समकक्ष व्यापार देय बैंक जमा अर्जित ब्याज और उस पर चालू उधार की अग्रगी राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है। दिए गए ऋणों के उचित मूल्य की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्राप्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

33. उचित मूल्य मापन

श्रणी के अनुसार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन	-	-
– व्यापार प्राप्य	28,271.41	21,897.74
– नकद और बैंक शेष	1,96,005.90	78,852.95
– ऋण	4,743.80	4,747.32
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	26,046.35	1,14,970.95
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,55,067.46**	**2,20,468.96**
वित्तीय देयताएं		
लाभ/हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां का मूल्याकंन	-	-
– उधारियां	-	-
– व्यापर देय	13,399.70	15,417.04
– अन्य	53,785.05	49,687.03
कुल वित्तीय देयताए	**67,184.75**	**65,104.08**

कुल वित्तीय देयता,

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2024 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां				
– व्यापार प्राप्य	-	-	28,271.41	28,271.41
– नकद और बैंक शेषs	-	-	1,96,005.90	1,96,005.90
– ऋण	-	-	4,743.80	4,743.80
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	26,046.35	26,046.35
	-	-	**2,55,067.46**	**2,55,067.46**
देयताए				
– उधारियां	-	-	-	-
– व्यापार देयताए	-	-	13,399.70	13,399.70
– अन्य	-	-	53,785.05	53,785.05
	-	-	**67,184.75**	**67,184.75**

33. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2023 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां				
– व्यापार प्राप्य	-	-	21,897.74	21,897.74
– नकद और बैंक शेषs	-	-	78,852.95	78,852.95
– ऋण	-	-	4,747.32	4,747.32
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	1,14,970.95	1,14,970.95
	-	-	2,20,468.96	2,20,468.96
देयताए				
– उधारियां	-	-	-	-
– व्यापार देयताए	-	-	15,417.04	15,417.04
– अन्य	-	-	49,687.03	49,687.03
	-	-	65,104.08	65,104.08

व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं नकदतुल्यों, व्यापार देय, बैंक जमा उपार्जित ब्याज तथा उस समय की वर्तमान उधारियों की मात्रा उनकी अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है। दिए गए ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्रमाणित इनपुट शामिल किए जाने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदान क्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियो को तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर किया जाता है।

जोखिम	एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाला	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य व्यापार प्राप्य बैंक जमा	आयुवृद्धि विश्लेषण	जमा क्रेडिट सीमा का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार

पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी का लक्ष्य अपनी पूजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है ताकि कि एक निरंतर कारोबार को जारी रखने की कंपनी की क्षमता और शेयरधारकों के समुचित प्रतिफल (रिटर्न) को सुरक्षित किया जा सके। कंपनी की नीति कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ एक स्थिर और मजबूत पूश्जी संरचना बनाए रखना है ताकि भविष्य के विकास और अपने व्यवसाय के विकास को बनाए रखने के लिए निवेशक और लेनदारों का विश्वास बनाए रखा जा सके । कंपनी अपनी पूजी संरचना को बनाए रखने या आवश्यक समायोजन करने के लिए उचित कदम उठाएगी ।

टिप्पणी– 35

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

31 मार्च 2024 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

35.1 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत जारी परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69–डपद दिनांक 7 अगस्त,1973 और आदेश संख्या 7/6/69–डपद (PSU) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के माध्यम से कंपनी को टर्नओवर, कच्चे माल की खपत से संबंधित मात्रात्मक जानकारी तथा उत्पादित माल के प्रारंभिक एवं अतिम स्टॉक, खरीदी की गई या अधिग्रहित कच्ची सामग्री, लाइसेंस प्राप्त क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन से संबंधित जानकारी को प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, वर्ष 2003–04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 10/8(12)/ 2004–पीएसय/ 448 के माध्यम से कंपनी के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं की जाएगा और ना ही विशेष रूप से किसी अकेक्षण रिपोर्ट में इन आकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।

35.2 कंपनी ने तुम्मलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813. 412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष रू 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वषर्रू 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष रू 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोड़ा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष रू 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वषर्रू 288.20 एकड) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त किया है। 1128.32 एकड़ भूमि के नरवापहाड़ खनन पट्टे क्षेत्र का विस्तार 27.01. 2013 से पूर्वव्यापी रूप से संपूर्ण निक्षेप समाप्त होने तक, और गोगी परियोजना में 8.62 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है।

35.3 कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए मांग–पत्र (डिमांड नोट) का भुगतान कर दिया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

35.4 परियोजना पूर्व व्यय :

(क) लांबापुर परियोजना (रु. 968.71 लाख) :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एसपीसीबी) और खान और भूविज्ञान विभाग, तेलंगाना सरकार से क्रमशः स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) और खनन पट्टे के अनुदान की प्रतीक्षा है।

ख) के.पी.एम. परियोजना (रु.1004.76 लाख) :

परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश के बाद, शिलांग में यूसीआईएल का कार्यालय बंद है और परियोजना संबंधी सभी गतिविधियाँ निलंबित हैं।

ग) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना (रु. 238.15 लाख) :

यूसीआईएल ने 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक की मौजूदा सुविधा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए तुम्मलापल्ले परियोजना, आंध्र प्रदेश का विस्तार किया है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2010 में तैयार की गई थी। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को सौंप दिया गया।

इसके बाद आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) ने 06.01.2021 को पर्यावरण जन सुनवाई के लिए अधिसूचित किया। इस बीच, स्थानीय एनजीओ ने यूसीआईएल की विस्तार गतिविधि को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में 29.12.2020 को एक रिट याचिका (पीआईएल) संख्या : 323/2020 दायर की। रिट याचिका के आधार पर, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने 31.12.

अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

बैलेंस शीट मे प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	के नाम मालिकाना हक	क्या मालिकाना हकदार एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई	निःशुल्क भूमि/पट्टे की भूमि	15.85	राज्य सरकार/ निजी पार्टियां	NO	1986	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है

2020 को स्टे ऑर्डर जारी किया।

फलस्वरूप, यूसीआईएल ने स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए 04.01.2021 को जवाबी हलफनामा दायर किया। दिनांक 16.01.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन को खाली करने का आदेश जारी किया और जनसुनवाई करने की अनुमति दी। हालांकि, हमारे अनुरोध पत्र दिनांक 17.05.2021 के जवाब में, एपीपीसीबी ने अपने पत्र संख्यारू के–216/पीसीबी/आरआ/केडीपी/2021–48 दिनांक 19.05.2021 के माध्यम से सूचित किया कि COVID–19 महामारी के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण जन सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार से मामले की जांच की जा रही है।

घ) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में कन्नमपल्ले परियोजना (रु. 227.17 लाख) :

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कन्नमपल्ले जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार से मामले की जांच की जा रही है।

ङ) कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी और कंचनकई परियोजनाएं (रु. 735.70 लाख) :

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गोगी जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्नाटक सरकार ने एएमसीआर–2016 के अनुसार प्रस्तावित भूमि सीमांकन, भूमि अनुसूची तैयार करने आदि का कार्य शुरू कर दिया है, जो प्रगति पर है।

इस बीच, गोगी से सटे कंचनकई में एक नई जमा की खोज एएमडी द्वारा पूरी की गई है। कंचनकई जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्नाटक सरकार ने कंचनकायी डिपॉजिट के भूमि विवरण, भूकर योजना आदि के साथ प्रस्ताव को परमाणु ऊर्जा विभाग को आगे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, बेंगलुरू को भेज दिया है।

खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) कर्नाटक द्वारा राज्य सरकार खनियम –6 (2), एएमसीआर, 2016 के तहत, यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद दोनों परियोजनाओं के लिए एमओईएफएंड सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्थलों पर सीएसआर गतिविधियां जारी हैं।

च) राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना (रु. 1960.11 लाख) :

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया जा रहा है। एएमडी की ओर से अन्वेशी खनन गतिविधियां, यूसीआईएल और एएमडी के बीच समझौते के अनुसार, एएमडी की ओर से, यूसीआईएल द्वारा शुरू किया गया है। भूमिगत कामकाज तक पहुँचने के लिए एक डिक्लाइन का पोर्टल 240 मीटर तक विकसित किया गया है। बाद में एक चरण में किए जाने वाले वाणिज्यिक खनन अभियान के दौरान आवश्यक औद्योगिक और पीने के पानी की भविष्य की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सीकर के नगर परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) के आधार पर, यूसीआईएल ने पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से रोहिल (सीकर), राजस्थान में संबद्ध सेवाओं के साथ 0.75 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) आरओएन क्षमता की भूमिगत खदान और 0.75 एमटीपीए यूरेनियम प्रसंस्करण परिसर का विकास परियोजना के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त की हैं।

मेकॉन द्वारा मौसम संबंधी निगरानी, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी, ध्वनि स्तर निगरानी, सतही एवं भूजल गुणवत्ता निगरानी, यातायात घनत्व अध्ययन आदि के लिए पर्यावरणीय आधारभूत डेटा सृजन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नवीनतम उपग्रह इमेजरी पर भूमि उपयोगध्भूमि आवरण विश्लेषण के लिए अध्ययन, मृदा गुणवत्ता का अध्ययनय पारिस्थितिकी विशेषताओं (वनस्पति एवं जीव) का अध्ययन, जल विज्ञान एवं जल भूविज्ञान का अध्ययन प्रगति पर है।

परियोजना के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों का मूल्यांकन करने

के लिए स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, ठ।त्ब् मुंबई द्वारा साइट के चारों ओर रेडियोलॉजिकल निगरानी और टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य स्थिति सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यूसीआईएल ने एसआईए अध्ययन (सामाजिक प्रभाव आकलन) के संचालन के लिए डीसी, सीकर को भूमि अधिग्रहण आवेदन प्रस्तुत किया है। इन कार्यों के पूरा होने पर, राज्य स्तर पर आगे की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने के लिए ईआईए ध ईएमपी का संकलन शुरू किया जाएगा।

ज) छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जाजवाल परियोजना (रु.137.91 लाख) :

एएमडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर के पास प्रस्ताव जाजवल परियोजना के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है। MECON को टेक्नो–इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में लगाया गया है। एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, छत्तीसगढ़ सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा खनियम –6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है।

झ) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गराडीह परियोजना (रु.27.04 लाख रुपये) :

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। यूरेनियम खनिजकरण 280–300 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव तक स्थापित किया गया है। एएमडी ने 450–570 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव के लिए खनिजकरण की दृढ़ता को साबित करने के लिए क्षेत्र में खोजपूर्ण ड्रिलिंग कर रहा है। एएमडी गहन अन्वेषण ड्रिलिंग के परिणामों के आधार पर झारखंड सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा खनियम –6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), झारखंड द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है।

ञ) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बानाडुंगरी परियोजना (शून्य) :

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर–2016 के नियम 4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। एएमडी ने दिनांक 17.09.2021 को झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंप दी है। मेकॉन ने बानाडुंगरी जमा के संबंध में तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा खनियम –6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), झारखंड द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

चालू परियोजना :

तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना (शून्य) :

तुरामडीह मिल को वर्ष 2007–2008 में 3000 टीपीडी प्रसंस्करण के लिए चालू किया गया था, लेकिन खदानों से अयस्क फीड में परिवर्तन के कारण चालू होने के बाद अगले 3 से 4 वर्षों में निर्धारित क्षमता हासिल नहीं की जा सकी। बांदुहुरांग खुली खदान से अधिकांश अयस्क फीड को तुरामडीह मिल फीड के लिए माना गया, क्योंकि नरवापहाड़ खदान के उत्पादन को जादुगोड़ा मिल विस्तार के लिए माना गया था। बांदुहुरांग खुले खदान अयस्क के भू–खनन और भू–रासायनिक गुण नरवापहाड़ खदान से काफी भिन्न हैं। इसके परिणामस्वरूप, आगामी वर्षों में मिल विस्तार शीर्ष के अंतर्गत खरीदे गए और स्थापित किए गए उपकरणों और सहायक उपकरणों का उपयोग अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की अड़चन को दूर करने के लिए किया गया, जिससे अयस्क प्रसंस्करण क्षमता 2500 टीपीडी से बढ़कर 3400 टीपीडी (लगभग) हो गई। विस्तार परियोजना पर कुल व्यय 75.00 करोड़ रुपये (लगभग) था। विस्तार परियोजना के अंतर्गत रखे गए अधिकांश संयंत्र और उपकरण भी प्रचालनाधीन हैं, ताकि 15 वर्षों से अधिक समय से उपयोग के कारण पुराने संयंत्र और उपकरणों की पुरानी हो चुकी स्थिति से निपटा जा सके।

इस पृष्ठभूमि में, यूसीआईएल के निदेशक मंडल ने (28.06.2023 को आयोजित 281वीं बैठक) '(प) मिल के निरंतर

संचालन के लिए अयस्क की उपलब्धता के वर्तमान परिदृश्य और 15 वर्षों से अधिक समय से चल रहे संयंत्र और उपकरणों के पुराने प्रभाव को देखते हुए तुरामडीह मिल की क्षमता को वर्तमान 1.032 एमटीपीए के स्तर से 0.90 एमटीपीए से 1.28 एमटीपीए तक बढ़ाने के प्रस्ताव को शीघ्र बंद करना और (पप) 0.90 एमटीपीए की प्रारंभिक डिजाइन क्षमता को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने और बाद में संचालन के अगले 10 वर्षों के लिए क्षमता को 1. 032 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए तुरामडीह मिल में पूंजीगत व्यय के रूप में 74.99 करोड़ रुपये का विनियोजन' को मंजूरी दी है।

(क) तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट (रु. 2326.59 लाख) :

तुरामडीह और बंदुहुरांग खान के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। तुरमडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट को उप–उत्पाद के रूप में, कोयला वॉशरियों में इसके उपयोग के लिए चुंबकीय सामग्री और सूक्ष्मता के संदर्भ में बहुत उच्च गुणवत्ता के मैग्नेटाइट के रूप में उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वैधानिक मंजूरी का इंतजार है।

(ख) सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना (रु. 36.23 लाख) :

तुम्मलापल्ले में पर्यावरणीय निर्वहन की उन्नत गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मेकॉन द्वारा डिजाइन आधार रिपोर्ट, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। इस बीच, तुम्मलापल्ले में खदान के पानी में मौजूद रेडियो–सक्रिय न्यूक्लाइड को कम करने के लिए खदान के पानी के उपचार के लिए पर्यावरण–अनुकूल रासायनिक विधि का घरेलू विकास शुरू किया गया है। खदान के पानी में यू और आरए की मात्रा को कम करने के लिए प्रयोगशाला और पायलट पैमाने पर किए गए परीक्षणों ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। इसके मद्देनजर 30.3.2023 से 25.4.2023 तक एक माह की अवधि के लिए मैन्युअल रूप से संयंत्र का परीक्षण भी किया गया है और पाया गया कि परिणाम संतोषजनक हैं और इसे नियमित संचालन करने की योजना बनाई गई है।

35.5 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओश्का अग्रिम, समाधान, पुष्टीकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो तो।

35.6 व्यापार प्राप्य अधिकांशतः भारत सरकार से बकाया हैं, इसलिए भविष्य में कोई ऋण हानि होने की संभावना नहीं है।

35.7 आतंरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए किसी भी तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य परिसंपत्तियों की वहन लागत से अधिक है।

35.8 कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु कंपनी 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिसके अपने स्वयं के नियम हैं और इसे क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त(आरपीएफसी), पटना एवं आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। तथापि, आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि कंपनी ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है और कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ तथा 1997 से परिवार पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है और इस पर अपील दायर की है जो वर्तमान में सीजीआईटी, धनबाद के पास लंबित है। चूकि कंपनी ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सीजीआईटी, धनबाद के समक्ष अपील लंबित होने का कारण नहीं बनता है।

35.9 तुलन–पत्र तिथि पर कार्य दायित्व अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है। अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार बिलों के लंबित अंतिम निपटान का उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति के मामले में पूजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है।

35.10 बगजाता खनन परियोजना के लिए 375 मीटर गहराई वाले वर्टिकल शाफ्ट की डिजाइनिंग, सिंकिंग, लाइनिंग और लैस करने का कार्य मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 24.76 करोड़ रुपये की लागत से प्रदान किया गया था। चूंकि, ठेकेदार ने काम को पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत के लिए 103.47 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए विवाचन की है। ठेकेदार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय रांची गया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उक्त के आधार पर मैसर्स यूसीआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची के समक्ष अपील की है। मामले का निपटारा कर दिया गया है। आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

35.11 मोहुलडीह खदान में 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और इसके उपकरण का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 18.63 करोड़ रुपये की लागत से दिया गया था। चूंकि, ठेकेदार ने काम को पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत के लिए 102.42 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन के नुकसान के

दावे के लिए विवाचन की है। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थ के पास लंबित है।

35.12 परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश पर केपीएम परियोजना को बंद कर दिया गया था। केपीएम परियोजना के लिए किए गए संपूर्ण पूर्व–परियोजना खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 1004.75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। प्रावधान चालू वित्तीय में दिखाया गया है।

35.13 मेसर्स एसएमएस लिमिटेड को तुम्मलापल्ली परियोजना में 3000 टीपीडी यूरेनियम अयस्क के उत्पादन के लिए खान विकास, स्टॉपिंग, वेंटिलेशन शाफ्ट सिंकिंग और अन्य संबंधित उत्खनन का अनुबंध दिया गया है।

अनुबंध के अंत में, एसएमएस लिमिटेड ने विभिन्न बिंदुओं पर सात दावे किए, जिनकी जांच यूसीआईएल की 'आंतरिक समिति' और 'मेकॉन लिमिटेड' द्वारा की गई, जिसके बाद अनुबंध को बंद करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने जांच की और पाया कि एक दावा विचाराधीन है और शेष छह दावे मान्य नहीं हैं। इस बीच, एसएमएस लिमिटेड ने निपटान के लिए मध्यस्थता के लिए तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है।

35.14 अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपात विश्लेषण	अंश–गणक	रुपया लाख में		विभाजक	रुपया लाख में		अनुपात		%
			31 मार्च 2024	31 मार्च 2023		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	भिन्नता का
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	273,828	1,46,053	वर्तमान देनदारियां	66,153	55,186	4.14	2.65	56.40%(1)
2	ऋण इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल देनदारियों	91,890	81,837	शेयरधारकों की इक्विटी	390,006	370,273	0.24	0.22	6.60%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय	NA	NA	ऋण सेवा	NA	NA	NA	NA	NA
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (प्रतिशत में)	अवधि के लिए लाभ	23,863	6,570	औसत शेयरधारक इक्विटी	380,139	382,371	6.28%	1.72%	265.33%(2)
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बिके माल की लागत	49,265	59,708	औसत सूची	21,874	21,042	2.25	2.84	-20.63%(3)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	231,708	219,211	औसत व्यापार प्राप्तियां	25,085	75,331	9.24	2.91	217.43%(4)
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	कुल खरीद	52,115	58,358	औसत व्यापार देय	14,408	12,812	3.62	4.55	-20.59%(3)
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	कुल बिक्री	231,708	219,211	औसत कार्यशील पूंजी	149,271	112,311	1.55	1.95	-20.47%(5)
9	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	शुद्ध लाभ	23,863	6,570	कुल बिक्री	231,708	219,211	10.30%	3.00%	243.61%(2)
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	ईबीआईटी	32,213	9,717	नियोजित पूंजी	415,743	396,924	7.75%	2.45%	216.50%(2)
11	निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	वापसी/लाभ/आय	NA	NA	निवेश	NA	NA	NA	NA	NA

* लाभ में कमी के कारण

** कच्चे माल और स्टोर और पुर्जों की कीमतों में वृद्धि के कारण

*** प्राप्त बकाया राशि और मुआवजे की कीमत में कमी के कारण

35.15 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जब भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी– 36

अतिरिक्त नियामक जानकारी

I) अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं :

➢ कृपया ष्खातों पर अतिरिक्त नोट्सष के पैरा 35.3 को देखें

ii) जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है, कंपनी को यह खुलासा करना होगा कि क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम –2 के तहत परिभाषित किया गया है।

➢ नहीं

iii) निम्नलिखित खुलासे किए जाएंगे जहां प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम दिए गए हैं, या तो अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से;

(a) मांग पर चुकाया जाने वाला या

(b) किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना

उधारकर्ता के प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में भार या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटरों		
निर्देशकों		
केएमपी		
संबंधित पक्षों		

➢ कृपया ष्खातों पर नोट्सष का पैरा 32 देखें

(iv) / (v) पूंजी–कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)धविकासाधीन अमूर्त संपत्ति (आईटीएयूडी)रू

➢ कृपया ष्खातों पर नोट्सष का पैरा 4 देखें

(vi) बेनामी संपत्ति का विवरणरू

जहां बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है, कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगीरू–

(क) अधिग्रहण के वर्ष सहित ऐसी संपत्ति का ब्यौरा,

(ख) इसकी राशि

(ग) लाभार्थियों का विवरण

(घ) यदि संपत्ति किताबों में है, तो बैलेंस शीट में आइटम का संदर्भ लें

(ङ) यदि सम्पत्ति पुस्तकों में नहीं है, तो तथ्य को कारणों के साथ बताया जाएगा,

(च) जहां कंपनी के खिलाफ इस कानून के तहत लेन–देन के लिए उकसाने वाली या विवरण प्रदान किए जाने के तहत कार्यवाही हो रही है

(छ) कार्यवाही की प्रकृति, उसकी स्थिति और उस पर कंपनी का दृष्टिकोण

➢ ऐसी कोई संपत्ति नहीं है और इसलिए उपरोक्त सभी बिंदु लागू नहीं होते हैं।

(vii) जहां कंपनी ने वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लिया है, वह निम्नलिखित का खुलासा करेगीरू दृ

(क) क्या कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण बही–खातों के अनुरूप हैं य

(ख) यदि नहीं, तो सुलह का सारांश क्या है और भौतिक विसंगतियों के कारण, यदि कोई हों, का पर्याप्त रूप से खुलासा किया जाना चाहिए

➢ ऐसी कोई उधारी नहीं

(viii) जानबूझकर चूककतारूं

जहां कोई कंपनी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित की जाती है, तो निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे

(क) जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने की तिथि

(ख) चूक का विवरण (चूक की राशि और प्रकृति)

➢ नहीं। कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) बंद कंपनियों के साथ संबंधरू

➢ लागू नहीं

(x) शुल्कों का पंजीकरण या कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ संतुष्टि

➢ लागू नहीं

(xi) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

➢ लागू नहीं

(xii) अनुपात विश्लेषण

➢ कृपया ष्खातों पर अतिरिक्त नोट्सष के पैरा 35.12 को देखें

(xiii) व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन

➢ ऐसी कोई योजना नहीं है।

(xiv) उधार ली गई धनराशि का उपयोग और शेयर प्रीमियम

(क) जहां कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को समझ के साथ अग्रिम या उधार या निवेशित धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) दी है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ ऐसा करेगा

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें :

कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी :

(I) प्रत्येक मध्यस्थ के पूर्ण विवरण के साथ मध्यस्थों में उन्नत या उधार या निवेश की गई निधि की तारीख और राशि।

(II) अंतिम लाभार्थियों के पूर्ण विवरण के साथ अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों को मध्यस्थों में अग्रिम या उधार या निवेश की गई निधि की तारीख और राशि।

(III) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की तारीख और राशि

(IV) घोषणा कि ऐसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और लेनदेन धन–शोधन निवारण अधिनियम 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं है

➢ ऐसी कोई उधार नहीं है और इसलिए उपरोक्त सभी बिंदु लागू नहीं होते हैं।

(ख) जहां किसी कंपनी को विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त हुआ है, तो यह समझ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो) कि कंपनी

(I) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना।

(II) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करने पर, कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी :

(I)) अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों के आगे दिए गए या उधार दिए गए या निवेश किए गए फंड की तारीख और राशि, साथ ही अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों का पूरा विवरण

(III) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की तारीख और राशि

(IV) घोषणा कि ऐसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और लेनदेन धन–शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं है।:

➢ **ऐसी कोई उधार नहीं है और इसलिए उपरोक्त सभी बिंदु लागू नहीं होते हैं।**

नोट '1' से '36' तक हस्ताक्षर

खातों पर टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, खातों पर अतिरिक्त नोट और अतिरिक्त नियामक जानकारी

संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं।
संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते के ए एस जी एडं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **002228C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 16.07.2024
यूडीआईएन : 24073063BKEFRB7540

CA राज कुमार अग्रवाल
सहभागी
M-No- 073063

वी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी 9596C

एस बी मोहन्ती
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 09714193

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10612460

नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	टिप्पनी	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर से पहले लाभ/(हानि)।		32,213.18	9,717.30
इसके लिए समायोजनरू			
– मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	26,554.01	26,425.77
– बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	22	(13,352.77)	(6,452.79)
– ऋण और अग्रिम पर ब्याज	22	(64.96)	(250.94)
– वित्त लागत	25	99.77	754.93
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**45,449.23**	**30,194.26**
कार्यशील पूंजी समायोजनरू			
– व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	9	(6,373.67)	1,06,867.07
– (वृद्धि)/ऋण एवं अग्रिम में कमी	6	3.52	(1,070.70)
– (वृद्धि)/इन्वेंट्री में कमी	8	(2,770.22)	1,105.55
– (वृद्धि)/अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी	13	(737.98)	(5,452.10)
– (वृद्धि)/अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी	12	88,924.59	(30,799.32)
– व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)।	16 (a)	(2,017.34)	5,209.71
– प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)।	17	2,494.41	1,325.55
– अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	16 (b)	4,098.02	(140.53)
– अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	20	(870.26)	553.26
नकद जनित प्रपत्र संचालन		1,28,200.29	1,07,792.76
आयकर चुकाया	(6,215.48)	(16,409.45)	
परिचालन गतिविधियों से/(इनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)		**1,21,984.81**	**91,383.31**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	3	(16,037.80)	(23,909.58)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद			
(वृद्धि)/पूंजी ;ए: में कमी	4	(1,737.36)	4,876.88
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	7	(457.54)	659.49
ऋण और अग्रिम पर ब्याज (वित्त आय)	22	64.96	250.94
बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज	22	13,352.77	6,452.79
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष में वृद्धि/(कमी)।	11	(1,21,381.55)	(73,810.24)
निवेश गतिविधियों से/(इनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)		**(1,26,196.52)**	**(85,479.72)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	15	0.00	0.00
(लंबित आवंटन सहित)			
लाभांश का भुगतान किया गया	15	0.00	(10,200.00)
अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया	15	0.00	(19,724.00)
ब्याज का भुगतान किया	25	(16.90)	(678.19)
वित्तपोषण गतिविधियों से/(इनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह (सी		**(16.90)**	**(30,602.19)**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (एबीसी)		(4,228.61)	(24,698.61)
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	10	5,011.50	29,710.10
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**10**	**782.89**	**5,011.50**

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **002228C**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : जादुगोड़ा
दिनांक : 16.07.2024
यूडीआईएन : 24073063BKEFRB7540

CA राज कुमार अग्रवाल
सहभागी
M-No- 073063

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी 9596C

एस बी मोहन्ती
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 09714193

डा0 एस के सतपति
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10612460

पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियों	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1999-00	14533	1461.9	4522.2	1685.2	5361.4	1307.9
2000-01	14797	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	179195	17335	40739	21963	86747	12410
2018-19	203479	17984	47126	21085	77501	39783
2019-20	241959	18174	54070	25723	84309	59683
2020-21	235290	15378	54059	22695	80837	62321
2021-22	261472	16831	58743	22815	85335	77748
2022-23	227958	25842	60408	26425	105566	9717
2023-24	247264	22524	63968	26552	102007	32213

कर पश्चात लाभ / हानि	पूंजी	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूंजी	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूंजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
1151.1	41982.3	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	181562	84559	255073	44477	210596	4781
21420	206962	76432	259256	65559	193693	4629
48205	206962	113865	281910	91339	190571	4672
47074	209462	146263	297587	114038	183550	4536
57672	209462	185008	297755	124762	172993	4533
6570	209462	160811	321665	151103	170562	4425
23863	209462	180544	337702	177572	160130	4255

सीएसआर पहल

तुम्मलापल्ली यूनिट के गांव मे मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

यूसीआईएल तुम्मलापल्ले के युसिल द्वारा संचालित सीएसआर के तहत गांवों में मेधावी छात्रों को मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति की पेशकश

सीएसआर पहल के तहत राम मनोहर लोहिया नेत्रालय बागबेड़ा में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर ।

सीएसआर के तहत तुरामडीह के निकटवर्ती गांवों में ग्रामीण चिकित्सा जागरूकता पर सेमिनार

तुरामडीह के आसपास के ग्रामीणों को सिलाई प्रशिक्षण एवं सिलाई मशीन वितरण के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का वितरण ।

तालसा एवं नादुप कि बिकलांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूसीआईएल में झंडोत्तोलन समारोह

वृक्षारोपण खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली यूसीआईएल तुम्मलापल्ले इकाई में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का दौरा

श्री एस बी मोहंती, निदेशक (वित्त) का दौरा और यूसीआईएल रोहित परियोजना का उद्घाटन।

नये सीएमडी का स्वागत यूसीआईएल रोहिल परियोजना में

सीएंडएमडी और अन्य यूसीआईएल अधिकारियों द्वारा यूसीआईएल रोहिल परियोजना में वृक्षारोपण

रोहिल प्रोजेक्ट में यूसीआईएल सीएसआर समिति की बैठक

EXPLOSIVE

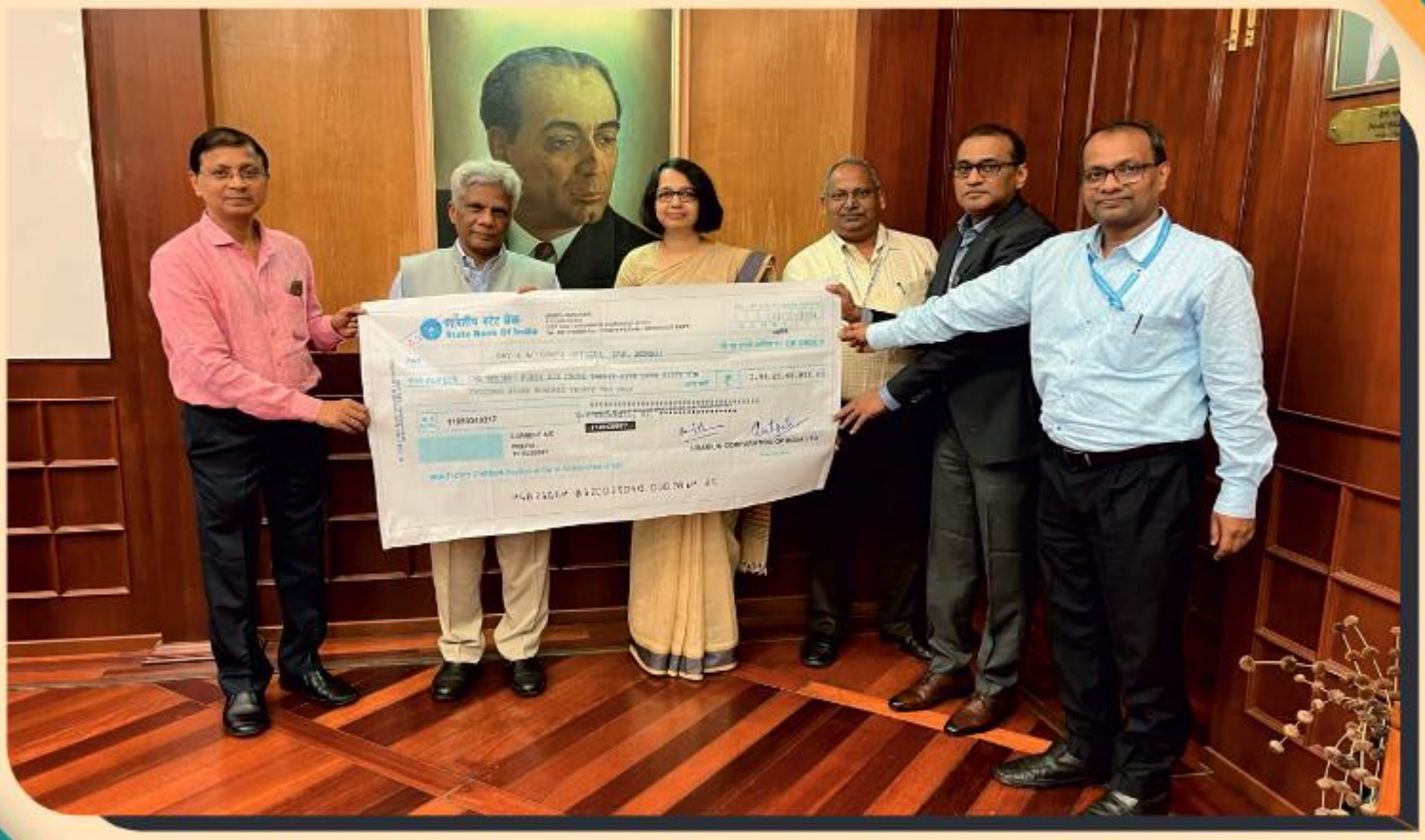

Dr. S. K. Satpati, C&MD, UCIL handing over the dividend of Rs. 14,625.67 lakhs for the Financial Year 2023-24 to Dr. A. K. Mohanty, Chairman, Atomic Energy Commission and Secretary, Department of Atomic Energy, Total dividend amount for the FY 2023-24 is Rs. 19,501 lakhs (Previous year Rs. 10,200 lakhs).

An ISO : 9001:2015, 14001 : 2015 & IS 45001 : 2018 Company